वर्ष 2 अंक 4 अप्रैल 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

अधिनायकवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करो : रणदिवे का आह्वान

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में देश में अधिनायकवादी शक्तियों के बढ़ते हुए खतरे की ओर ध्यान दिलाया और मजदूर वर्ग को आह्वान किया कि वे इस खतरे का एकजुट हो मुकाबला करें. कार्यसमिति की बैठक 21 मार्च को नई दिल्ली में आरम्भ हुई. रणदिवे ने कहा "यदि अधिनायकवादी शक्तियों के उभरते हुए खतरे के प्रति किसी के मन में जरा भी सन्देह था तो इंदिरा सरकार द्वारा स्वेच्छाचारी तरीके से 9 राज्य विधान सभाओं को गिराये जाने से दूर हो जाना चाहिए. यह सभी राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकार को गिराकर एक पार्टी का एकछत्र साम्राज्य बनाने की दिशा में एक खुला कदम है."

1977 के चुनावों में अधिनायकवादी शक्तियों को एक जबरदस्त आघात लगा था. किन्तु केन्द्र में इन्दिरा गांधी की सरकार बन जाने से इन शक्तियों को नया जीवन मिला है. इन्दिरा गांधी की पार्टी के सत्ता में आने की पृष्ठभूमि का विवेचन करते हुए रणदिवे ने बताया कि "**इसका एक मुख्य कारण जनता सरकार की जन-विरोधी नीतियां हैं जिनके बारे में हमने बार बार चेतावनी दी थी. इसके साथ साथ यह जनता पार्टी के भीतर आर. एस. एस. जनसंघ गुट द्वारा पार्टी पर प्रभुत्व स्थापित करने का परिणाम है जिस कारण अल्पसंख्यकों व दलित वर्गों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पार्टी तथा अधिनायकवाद-विरोधी विस्तृत मोर्चे से कटता चला गया.**" उन्होंने आगे बताया कि बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्षी दल अधिनायकवाद के खिलाफ सुसंगत रूप से संघर्ष चलाने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं. इसका परिणाम आज यह है कि सारे जनवादी आंदोलन के सामने अधिनायकवाद का खतरा विकराल रूप लिए खड़ा है.

आने वाले खतरे

चेतावनी : श्रीमती गांधी की सरकार द्वारा पिछले तीन महीने के कार्यकाल के दौरान लिए गए कदम भविष्य के लिए खतरे की चेतावनी हैं. इन कदमों के उदाहरण हैं—निवारक नजरबन्दी कानून को पुनः लागू किया जाना, आपातकाल की ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार अफसरों को बहाल करना, प्रशासन में दखलंदाजी व फेरबदल कर बदनाम नागरिक व पुलिस अफसरों को सत्ता पुनः सौंप देना तथा संजय चौकड़ी की गतिविधियां जारी रहना.

खुला प्रयत्न : कांग्रेस (आई.) के केन्द्र में सत्ता में आ जाने के बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल व केरल की वाममोर्चा सरकारों को धमकियां दी जा रही हैं. इन सरकारों के खिलाफ केन्द्रीय मन्त्रियों सी. एम. स्टीफन व प्रणब मुखर्जी के वक्तव्यों तथा उनके कथन कि राज्य सरकारों को मूक रहकर केन्द्र के आदेशों को मानना होगा का हवाला देते हुए रणदिवे ने कहा कि भाड़े के माध्यमों का सहारा लेकर इन राज्यों में शांति भंग करने के प्रयत्न करवाए जा रहे हैं. इन प्रयत्नों से साफ जाहिर है कि "केन्द्र इन राज्यों में न केवल वाममोर्चा सरकारों पर हमला करके उन्हें गिराने की साजिश में लगा है बल्कि संविधान में निहित राज्य सरकारों के अधिकारों को हड़पकर सारी शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित करने का प्रयत्न कर रहा है. **यह संविधान में दिए गए देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने व**

[शेष मध्य पृष्ठों पर]

★ **21 अप्रैल : अखिल भारतीय मांग दिवस मनाओ**

★ **28 अप्रैल : अखिल भारतीय कामगार महिला दिवस**

सीटू की वर्किंग कमेटी द्वारा एकजुट संघर्षों का आह्वान

सीटू की वर्किंग कमेटी की 21 से 23 मार्च तक नई दिल्ली में हुई बैठक में मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष करने की आवश्यकता पर बल दिया गया. वर्किंग कमेटी ने सभी संबद्ध यूनियनों को आह्वान किया कि वे मजदूर वर्ग की प्रमुख मांगों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए 21 अप्रैल 1980 को अखिल भारतीय दिवस के रूप में मनाएं. मौजूदा आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति में मजदूर वर्ग की पांच मुख्य मांगें हैं—अधिनायकवाद का खतरा, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बिगड़ते हुए केंद्र-राज्य संबंध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उभरता हुआ साम्राज्यवादी खतरा.

पिछले वर्ष अप्रैल में हुए सीटू के मद्रास सम्मेलन के बाद यह अखिल भारतीय स्तर की पहली बैठक थी. इसमें 50 सदस्यों ने भाग लिया. सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक पिछले वर्ष दिसंबर में होनी निश्चित हुई थी, किंतु संसद के भंग किए जाने तथा मध्यावधि चुनाव घोषित किए जाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा.

सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने बैठक की अध्यक्षता की.

श्रद्धांजलियां

बैठक में सबसे पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने मद्रास सम्मेलन के बाद के समय में मेहनतकश वर्गों के संघर्षों में अपनी जानें दे दीं. ये हैं—हरियाणा के 10 मजदूर साथी जिन्हें हरियाणा पुलिस ने बेरहमी से गोली मार दी, आंध्रप्रदेश का एक मजदूर साथी जिसे उग्रपंथी गुंडों ने मार दिया तथा भेल का कर्मचारी जे सी बुंधिवाल जो मजदूरों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर था और जिसे सी. आई. एस. एफ. के जवानों ने इतना बुरी तरह पीटा कि 31 अगस्त 1979 को उसकी मृत्यु हो गई. बैठक में पेशावर सैनिक विद्रोह के नेता चंद्र सिंह गढ़वाली, भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख प्रवर्त्तक एस. एस. मिराजकर तथा श्रीमती गांधी के अधिनायकवादी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन तैयार करने वाले अग्रणी नेता व स्वतंत्रता सेनानी जय प्रकाश नारायण की मृत्यु पर गहरा दुःख प्रकट किया गया.

शोक-संदेश

बैठक में जिन अन्य मजदूर व किसान नेताओं के निधन पर शोक प्रकट किया गया वे हैं—स्वतंत्रता सेनानी व बिहार के किसान नेता रामानंद सिंह जिनकी डाकुओं ने घर लौटते हुए हत्या कर दी थी, आल इंडिया रेलवेमैंज फैडरेशन के नेता प्रिय गुप्त, सीटू की कालीकट जिला समिति के अध्यक्ष व सीटू जनरल काउंसिल के सदस्य के. पद्मनाभन, सीटू की दिल्ली स्टेट कमेटी के उपाध्यक्ष, सीटू जनरल काउंसिल के सदस्य व बीमा कर्मचारियों के नेता बी. के. पालीवाल, सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष व भिलाई स्टील प्लांट मजदूरों के नेता सी. आर. दत्ता, स्वतंत्रता सेनानी व तमिलनाडु के मजदूर नेता जी. एस. मनी, अंबरनाथ (महाराष्ट्र) के आर्डिनेंस मजदूरों के नेता के. ई. अब्राहम, कर्नाटक के के. जी. एस. व प्लांटेशन मजदूरों के नेता के. एस. वासन, सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य व दिल्ली होटल वर्कर्ज यूनियन के महासचिव राय सिंह तथा दक्षिण मध्य रेलवे एम्पलाईज यूनियन (विजयवाड़ा) के कोषाध्यक्ष राम सेशय्या.

बैठक में 1979 में मद्रास में हुए सम्मेलन के कार्यविवरण को पास कर लिया गया.

इसके बाद बी. टी. रणदिवे ने बैठक के सामने अध्यक्षीय भाषण दिया. इस भाषण की प्रतिलिपियां पहले ही सदस्यों में बांट दी गई थी. (देखिए पृष्ठ 1,10,11 आदि)

सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति कुछ जरूरी काम होने की वजह से बैठक में शामिल न हो सके. इस कारण वे बैठक के सामने अपनी रिपोर्ट पेश न कर सके.

बैठक में एक प्रस्ताव—कमेटी का गठन किया गया जिसके सदस्य थे—नृसिंह चक्रवर्ती (संयोजक), शांति घटक, एन. प्रसाद राव, बीरेन राय व के. रवींद्रनाथ बैठक में क्रेडेंशियल कमेटी का भी गठन किया गया. इस कमेटी के सदस्य थे—पारसा सत्यनारायण (संयोजक) सुहृद मल्लिक चौधरी तथा ओ. भाराथन.

गतिविधियों की रिपोर्ट

सचिव एम. के पंधे ने मद्रास सम्मेलन के बाद के समय में सीटू के गतिविधियों व संगठन संबंधी कामों की रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने इस्पात, कोयला भेल, एच. एस. सी. एल., जूट, सीमेंट, रेलवे प्लांटेशन, बीड़ी, नाविकों तथा गोदी व बंदरगाह इत्यादि उद्योगों व संस्थानों में सीटू की गतिविधियों व प्रगति की अलग अलग रिपोर्ट दी. उन्होंने इस्पात, कोयला, भेल में हुए समझौतों सीटू की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने सीटू की इस नीति कि नीचे के स्तर पर व ऊपर के स्तर पर अधिकारियों से बातचीत के कामों को साथ साथ चलाया जाए की सफलता के बारे में बताया.

रिपोर्ट में बंगलौर में हुए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के सम्मेलन व 14 सितंबर 1979 को हुई अखिल भारतीय सांकेतिक हड़ताल की सफलता की चर्चा की गई. इसमें कामगार महिलाओं के अखिल भारतीय सम्मेलन में बनी समन्वय समिति की गतिविधियों का जायजा लिया गया.

रिपोर्ट में सीटू के बढ़ते हुए

सुगठित संगठन : निहायत जरूरी

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व आफिशियल कमेटी में हुए काम की प्रगति की समीक्षा की गई. इसमें इस बात पर भी गौर किया गया कि सरकार वैधानिक समितियों में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधित्व देने के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है व सीटू के प्रतिनिधियों को ऐसी समितियों में सदस्यता नहीं देती. रिपोर्ट में सीटू केंद्र व राज्य कमेटियों द्वारा प्रकाशित की जा रही मासिक पत्रिकाओं के काम का विवेचन किया गया. इसमें सीटू के आदर्शों व गतिविधियों को प्रचारित करने के लिए अधिक प्रचार सामग्री के उपलब्ध करने की जरूरत पर भी बल दिया गया.

अंत में रिपोर्ट में सीटू की कार्य-विधि का विवेचन किया गया व इसकी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया. इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कार्य विधि की कमियों को बहुत जल्दी दूर किया जाना चाहिए. रिपोर्ट में अंत में कहा गया है :

"साथियो, अधिनायकवादी शक्तियों के उभरने के साथ-साथ मजदूरों के एकजुट आंदोलन व इसमें सीटू की अहम भूमिका के बारे में आम मजदूरों की आशाएं भी बढ़ रही हैं. इन आशाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि सीटू को सुसंगठित व मजबूत बनाया जाय. हमारी प्राथमिकताओं की सूची में यह सबसे ऊपर होना चाहिए. हमें उम्मीद है कि वर्किंग कमेटी वे सभी कारगर कदम उठाएगी जिससे आने वाले समय में सीटू अपनी इस भूमिका को मजबूती से निभा सके."

बहस

इसके बाद अध्यक्षीय भाषण व गतिविधियों की रिपोर्ट पर आम बहस चली. इस बहस में जिन सदस्यों ने भाग लिया उनमें प्रमुख हैं—शांति घटक. बीरेन राय, बामापद मुखर्जी (पश्चिम बंगाल), के रवीद्रनाथ (केरल), वी. पी. चिंतन (तमिलनाडु), एस. सूर्यनारायण राव (कर्नाटक), पी. सत्यनारायण (आंध्र प्रदेश), पी. के. कुरने, अहिल्या रांगनेकर (महाराष्ट्र), अमल घोष दस्तीदार (असम), चंडी प्रसाद (बिहार) हरसहाय सिंह (उत्तर प्रदेश), सुशील भट्टाचार्य (दिल्ली), समीर घर (मध्य प्रदेश), इ, बालानंदन, नृसिंह चक्रवर्ती तथा विमल रणदिवे.

वक्ताओं ने मजदूर वर्ग की आम समस्याओं पर चलाए हुए विस्तृत संघर्षों में अपने अनुभवों के बारे में बताया. उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ अर्द्ध उद्योगों को भी उन उद्योगों की सूची में शामिल किया जाए जहां उद्योग स्तर पर कार्य को समन्वित किया जा रहा है. कुछ वक्ताओं ने संगठनात्मक काम को और व्यवस्थित व अनुशासित करने के लिए भी सुझाव दिए. असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों, बिशेषकर खेतिहर मजदूरों, की ओर अधिक ध्यान देने व उन्हें संगठित करने की जरूरत पर कुछ वक्ताओं ने जोर दिया.

बैठक में विभिन्न राज्यों की गतिविधियों का सिंहावलोकन किया गया और पिछले एक वर्ष में मिली सफलताओं को रेखांकित किया गया.

प्रस्ताव

विद्युत संकट पर : बैठक ने विद्युत संकट पर प्रस्ताव पास किया जिसमें अव्यवस्थित योजना तथा विदेशी कंपनियों व भेल द्वारा विभिन्न विद्युत उत्पादक इकाइयों को दी गयी त्रुटिपूर्ण मशीनरी को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. प्रस्ताव में मांग की गई कि विद्युत् वितरण को ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं व विद्युत् संकट के कारण बंद हुए संस्थानों में मजदूरों को ले आफ का पूरा मुआवजा दिया जाय.

आसाम पर : एक और प्रस्ताव में बैठक ने आसाम की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की तथा आर. एस. एस. व साम्राज्यवादी एजेंसियों के शह पर काम करने वाले विघटनकारी तत्वों की आलोचना की. असम में सीटू तथा अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा क्षेत्रीय उन्माद भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ संघर्ष करने पर बधाई दी गई. इससे यह मांग की गई कि सर्वदलीय बैठक में हुई आम सहमति के आधार पर असम की समस्या का समाधान किया जाए तथा ऐसा करते हुए 1971 को "विदेशी" नागरिक पहचाने जाने का आधार बनाया जाए.

अधिनायकवाद पर : बैठक में बढ़ते हुए अधिनायकवादी शर्तों की ओर ध्यान दिलाते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया तथा सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों से अपील की गयी की वे इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक हो जायें. यदि हम इस मुद्दे पर एकता बनाने में असफल रहे तो इससे संगठन बनाने के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार तथा आम जनता के नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं."

मूल्य वृद्धि पर : मूल्य वृद्धि पर स्वीकृत प्रस्ताव में घाटे की वित्त व्यवस्था, मुद्रास्फिति, करों की बढ़ती हुई दर तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार काल जमाखोरों के खिलाफ कदम न उठाने के लिए समिति की निंदा की गई. इसमें मांग की गई को आम जरूरत की वस्तुओं को कम दामों पर सार्वजनिक वितरण के द्वारा उपलब्ध कराया जाए. छिपे भंडारों को बाहर निकालने के लिए सख्त कदम उठाए जायें तथा जरूरत की वस्तुओं पर आबकारी कर न लगाया जाए. प्रस्ताव में मजदूर वर्ग को कहा गया कि वह आकाश छूते मूल्यों को रोकने के लिए प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करें.

बेरोजगारी पर : बेरोजगारी के प्रस्ताव में देशव्यापी बेरोजगारी की चिंताप्रद स्थिति की ओर ध्यान दिलाया गया व इसमें सरकार द्वारा लागू किये जा रहे मशीनीकरण, आधुनिकीकरण व आटोमेशन जैसे कदमों का विरोध किया गया जिनके कारण बेरोजगारी की स्थिति और भी बदतर हो रही है.

सार्वजनिक क्षेत्र को कर्मचारियों पर : बैठक ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 14 सितम्बर 1979 को हुई

हरिजनों पर अत्याचार बंद करो

सफल हड़ताल पर बधाई दी. इसने सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन-बातचीत में ब्यूरो आफ पब्लिक ऐंटरप्राईजेज की दखलअंदाजी पर चिंता प्राप्त की. इसने इस क्षेत्र के कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपनी एकता को और मजबूत बनाएं व तब तक संघर्ष करते रहे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती.

केरल में वामपंथी-जनवादी विजय पर : बैठक ने केरल के मजदूर वर्ग व जनता को चुनाओं में कांग्रेस (आई.) को हराने व वामपंथी व जनवादी ताकतों को सत्ता सौपने पर बधाई दी.

हरिजनों पर अत्याचार पर : एक और प्रस्ताव द्वारा बैठक ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जमीदारों व उनके द्वारा पोषित गुंडों द्वारा हरिजनों पर ढाए जाने वाले अत्याचारों की जोरदार शब्दों में निंदा की. इसमें मांग की गई कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा हरिजनों व उनकी औरतों को सुरक्षा प्रदान की जाए

ठेका प्रथा पर : बैठक ने ठेकेदारी मजदूर प्रणाली के जारी रहने की भर्त्सना की है. यह प्रणाली देश के कई क्षेत्रों में अभी चल रही है हालांकि इसके खिलाफ कई साल पहले कानून पास हो चुका है. बैठक में मांग की गई कि इस कानून को संशोधित करके अधिक जोर दार बनाया जाए. जिससे कि ठेकेदारी प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाए तथा ठेकेदारी मजदूरों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाए इसमें मांग की गई कि इस बारे में कानून की अवहेलना करने वाले ठेकेदारों को सख्त सजा दी जाए तथा विभाग के काम को ठेकेदारी प्रणाली द्वारा करवाने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए.

एकजुटता व अन्यों पर : अलग अलग प्रस्तावों द्वारा इस्पात, कोयला, जूट तथा रेलवे के मजदूरों को उनके संघर्षों पर बधाई दी गई तथा उनकी मांगों का पूरा समर्थन किया गया. नेसनल इंस्ट्रूमैंट्स (कलकत्ता), इंडिया फोइल्ज (पश्चिम बंगाल) तथा सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (गाजियाबाद) के संघर्षरत मजदूरों के साथ उनके लंबे संघर्षों में एकजुटता जाहिर की गई.

हसियाजाम दुर्घटना पर : बैठक में हसियाजाम कोयला खदान में 17 मार्च 1980 को हुए दुर्घटना पर गुस्सा जाहिर किया इस दुर्घटना के 10 मजदूरों की जाने गई व 41 मजदूर घायल हुए. दुर्घटना का एक कारण खदान में सुरक्षा नियमों की अवहेलना किया जाना था. बैठक ने मृतक मजदूरों के प्रति शोक का इजहार किया व अपरारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग की.

आंध्र में पुलिस कार्यवाही पर : बैठक ने एक प्रस्ताव पास करने आंध्र प्रदेश में पुलिस दमन तथा जमींदारों व गुडो द्वारा मजदूरों किसानों व खेतिहर मजदूरों के जुझारू आंदोलनों पर लगातार हमले किए जाने की निंदा की. एक और प्रस्ताव द्वारा कामगार महिलाओं विशेष कर हरिजन औरतों, पर हुए हमलों व बलात्कारों की बढ़ती हुई वारदातों की निंदा की है व मांग की है कि इन जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सख्त सजा दी जाए.

मकवाना के वक्तव्य पर : बैठक ने गृह राज्य मंत्री योगेन्द्र मकवाना के इस बयान पर गंभीर चिंता प्रकट की है जिसमें उन्होंने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों से कहा है कि वे अलग ट्रेड यूनियनों का गठन करें श्री मकवाना इन शोषित वर्गों की जायज शिकायतों का फायदा उठाकर उन्हें विघटनकारी रास्तों की ओर धकेल रहे हैं. बैठक ने मजदूर वर्ग आंदोलन में एकता बनाने पर जोर दिया. यह एकता सभी प्रकार के सामाजिक शोषण को समाप्त करने के लिए जरूरी है.

पालेकर के सुझावों पर : बैठक में मांग की गई की समाचारपत्र कंपनियों के लिए पालेकर अधिकरण के फैसले को तुरंत लागू किया जाय तथा समाचार चर्जेसियों के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाए. एक प्रस्ताव द्वारा इकानमिक टाइम्स एम्पलाइज यूनियन के महासचिव पद्मनाभन के विक्टिमाइजेशन की निंदा की गई.

नौकरी आरक्षण व स्वचालन : नौकरियों में आरक्षण तथा आटोमेशन के सवाल पर विस्तृत बहस हुई. आरक्षण के मुद्दे पर सभी वक्ताओं का मत था कि समाज के शोषित वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है. किंतु पदोन्नति के सीमित मौकों को देखते हुए अन्य वर्गों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए. आमतौर पर यह राय थी कि इस समस्या को हल करने के लिए पदोन्नति की सुविधाओं को बढ़ाया जाना जरूरी है तभी सभी वर्गों के मजदूरों के हितों को बचाया जा सकता है. यह महसूस किया गया है कि बुर्जुआ वर्ग इस सवाल पर मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने के प्रयास कर रहा है. इस समस्या पर सीटू का परिपेक्ष्य है मजदूर वर्ग की एकता को बचाना व इसे और अधिक मजबूत बनाना.

आटोमेशन के सवाल पर हुई बहस के दौरान सदस्यों ने बताया कि आटोमेशन प्रसार मजदूरों की नौकरियों की संभावनाओं को खत्म कर दिया है. उन्नत स्तर के कंप्यूटर कई संस्थानों में प्रयोग में लाए जा रहे हैं. जिससे इन संस्थानों में नौकरियों की संभावनाएं संकुचित होती जा रही हैं. हालांकि आटोमेशन को आरंभ करते हुए यूनियनों को आश्वासन दिए जाते हैं कि उनकी नौकरियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. किंतु इस प्रकार के आश्वासन घरे के घरे रह जाते हैं. भारत सरकार ने भी अब कंप्यूटर का निर्माण आरंभ कर दिया है जिससे आटोमेशन विकराल रूप लिए खड़ा हो गया है. कई प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कंप्यूटर केंद्र खोले गए हैं जो कई उद्योगों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं. इसने हजारों बेरोजगार शिक्षितों की नौकरी की संभावनाओं पर पानी फेर दिया है.

वक्ताओं ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि कई यूनियनों ने आटोमेशन को स्वीकार करने के समझौते किए हैं और इस प्रकार मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने इस बात पर

स्वचालन का विरोध करो

अफसोस जाहिर किया कि कुछ मजदूर अधिक वेतन के लालच में आटोमेशन को स्वीकार कर लेते हैं वे इस प्रकार मजदूर वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं.

बी. टी. रणदिवे ने इन दोनों मुद्दों पर हुई बहस का समापन किया. उन्होंने पदोन्नत्ति के अतिरिक्त अवसरों को पैदा करने की जरूरत पर बल दिया जिससे मजदूरों के अधिक से अधिक वर्गों को संतुष्ट किया जा सके. आटोमेशन के सवाल पर उन्होंने सीटू द्वारा इसके विरोध को दुहराया और जोर देकर कहा कि हमारी यूनियनों को इसका जमकर विरोध करना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि आटोमेशन के खतरे से मजदूरों को अवगत कराने के लिए सीटू को प्रचार सामग्री का प्रकाशन करना चाहिए.

क्रेडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट

पारसा सत्यनारायण ने तब क्रेडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की. रिपोर्ट के अनुसार 36 यूनियनों जिनकी सदस्य संख्या 7,650 है. संबद्धता के लिए प्रार्थना पत्र भेजे हैं तथा वे संबद्धता के सारे नियमों व जरूरतों को पूरा करती हैं. इसके अतिरिक्त 23 यूनियनों, जिनकी सदस्य संख्या 3,521 है ने इन सारे नियमों को पूरा नहीं किया है. वर्किंग कमेटी ने निश्चय किया कि उन यूनियनों को जिन्होंने सारे नियमों को पूरा किया है संबद्धता दे दी जाए तथा अन्य यूनियनों को सूचित किया जाए कि सारे नियम पूरा करने के बाद ही सीटू से संबद्ध माना जाएगा.

सीटू की दसवी वर्षगांठ

सीटू की दसवीं वर्षगांठ 30 मई 1980 को है. बैठक में निश्चय किया गया कि इस दिन को सीटू की स्थापना से अब तक हुई उपलब्धियों को प्रचारित करते हुए सही तरीके से मनाया जाय. रणदिवे ने सुझाव दिया कि सीटू केंद्र को एक पुस्तिका प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें पिछले 10 वर्षों से मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष में सीटू की गौरवपूर्ण भूमिका दर्शाया जाए.

बैठक के कार्य का समापन करते हुए बी. टी. रणदिवे ने ध्यान दिलाया कि मजदूर वर्ग के संघर्षों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए. आत्म-आलोचना के अभाव में हम अपनी त्रुटियों को समझ पाने व उन्हें दूर करने में असमर्थ होते हैं.

सीटू के अनुभव

उन्होंने जन आंदोलनों का विकास करने व उन्हें मजबूत बनाने के काम में सीटू के अनुभवों की चर्चा की आरंभिक कठिनाइयों के बावजूद सीटू बुनियादी मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखनेवाली कई केंद्रीय ट्रड यूनियनों की एकता बनाने में सफल हुई है. उन्होंने कई ट्रेड यूनियनों द्वारा मिलकर आयोजित किए गए कई सम्मेलनों के अनुभवों का जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार एकता का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है.

रणदिवे ने बताया कि गहराते आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप आने वाले समय में मजदूर वर्ग पर हमले बढ़ते जाएंगे तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा कि वह इन हमलों का प्रतिरोध करे. सीटू को मजदूर वर्ग को भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करने में पहलकदमी करनी चाहिए.

उन्होंने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का एक महासंघ बनाने के सीटू के आह्वान को दोहराया. उन्होंने कहा कि आखिर में मजदूरों की एकता व एकजुट संघर्ष के हित में अन्य ट्रेड यूनियनें भी इस प्रकार का एक संगठन बनाने की बरूरत को समझेंगे. सीटू इस प्रकार की एकता स्थापित करने के प्रयत्न करती रहेगी.

अखिल भारतीय दिवस

बी. टी. रणदिवे ने सदस्यों से कहा कि वे 21 अप्रैल को अखिल भारतीय दिवस मनाने के लिए तैयारी करें जिससे कि इस दिन मजदूर वर्ग की प्रमुख मांगें प्रचारित हों. हमें इस दिन को एकता से मनाने के लिए अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का सहयोग भी लेना चाहिए. जो मांगें हमने उठाई हैं वे सारे मजदूर वर्ग की मांगें हैं—इस दिन मजदूर वर्ग को इन मांगों पर लामबंद करने से भविष्य के संघर्षों का आधार बन पाएगा.

कामगार महिलाएं : उन्होंने कहाकि राज्य कमेटियों को कामगार औरतों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए. इस दिशा में हमने जो भी निर्णय लिया है हमें पूरी तरह से अमल में लाना चाहिए. जब तक औरतों के प्रति हमारा सामाजिक बर्ताव नहीं बदलता, हम उन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाने में सफल नहीं होंगे.

सदस्यता : रणदिवे ने कहा कि सीटू का प्रभावक्षेत्र काफी विस्तृत है किंतु उसके अनुपात में इसकी सदस्यता-संख्या कम है. यूनियनों को मजदूरों को सदस्य बनाने की दिशा में विशेष प्रयत्न करने चाहिए. उन्होंने कई ऐसी यूनियनों के उदाहरण दिए जिनकी सदस्य-सख्या लंबे व एकजुट संघर्षों के बाद भी नहीं बढ़ी है. उन्होंने यूनियनों की कार्यविधि में सुधार के बारे में कुछ सुझाव दिए जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

रणदिवे ने इस बात पर जोर दिया कि सीटू सचिवालय को सीटू की गतिविधियों की समीक्षा करने व इसके अनुरूप सही संगठन-संबंधी कदम उठाने के लिये हर दो महीने में एक बार अवश्य मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी व जनरल काउंसिल की बैठक अधिक सार्थक होगी यदि साथी अपनी रिपोर्ट पहले ही भेज दें, जिससे कि इन रिपोर्टों को बैठक शुरू होने से पहले ही सदस्यों को दे दिया जाए. इसका एक लाभ यह भी होगा कि बैठक में नीति-संबंधी विषयों पर ही बहस केंद्रित रहेगी.

बधाई

आसाम का जिक्र करते हुए रणदिवे ने सीटू की असम राज्य कमेटी को इस बात पर बधाई दी कि वह प्रतिक्रियावादी तत्वों के हमलों का सामना साहसपूर्वक कर रही है. उन्होंने कहा कि सीटू को देश भर के मजदूरों में इस मुद्दे पर आंदोलन चलाना चाहिए व इसके विभिन्न पहलुओं पर उन्हें शिक्षित करना चाहिए.

[शेष पृष्ठ सात पर]

कामगार महिलाओं का सुरक्षा व समानता के लिए संघर्ष

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमेन की 24 मार्च को नई दिल्ली में दूसरी बैठक हुई. बैठक में कामगार महिलाओं का आह्वान किया गया है कि वे ठेका प्रथा के खात्मे, जरूरत के मुताबिक न्यूनतम वेतन, व्यक्तिगत सुरक्षा और कामगार महिलाओं को सुरक्षा आदि की मांग को लेकर 28 अप्रैल को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाएं. इसमें स्थानीय मांगें भी शामिल की जाएंगी.

इस दिन कामगार महिलाओं के विभिन्न हिस्सों के साथ मिलकर प्रदर्शन, सभाएं, रैली, विभिन्न अधिकारियों के पास प्रतिनिधिमंडल, पर्चे बांटने आदि का आयोजन किया जाएगा. अन्य संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त कार्यवाहियों की पूरी कोशिश की जाएगी.

समस्याओं में वृद्धि : बैठक में 9 राज्यों से 18 सदस्यों ने भाग लिया. सीटू की उपाध्यक्ष सुशीला गोपालन ने मीटिंग की अध्यक्षता की. मीटिंग में जून 1979 में हैदराबाद में हुई बैठक के बाद के संघर्षों की समीक्षा की गई. यह नोट किया गया कि पिछले कुछ महीनों मे विभिन्न समस्याओं पर काम बढ़ गया है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के प्रतिनिधियों के बयानों के मुताबिक यह पाया गया कि हरिजनों, खेतिहर मजदूरों, मजदूर वर्ग और दफ्तरों के कर्मचारियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. ज्यादातर मामलों में गुंडों, जमीदारों, प्रबंधकों और पुलिस का इन हमलों में हाथ था.

संघर्ष : सदस्यों ने मीटिंग में बताया कि कामगार महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर कई संघर्ष चलाए गए. इन संघर्षों द्वारा प्रसूति सुविधाएं, बच्चों के लालन-पालन का प्रबंध महिलाओं के होस्टलों, व्यक्तिगत सुरक्षा, जरूरत के मुताबिक न्यूनतम वेतन, ठेका प्रथा के खात्मे, रोजगार आदि की मांग की गई. कई संघर्षों में स्थानीय समस्याएं जैसे काम के घंटों में परिवर्तन और प्रबंधकों द्वारा कामगार महिलाओं को तंग किए जाने के खिलाफ आदि की मांगें की गई. इसके अलावा मुख्य मंत्रियों सहित विभिन्न अधिकारियों के पास प्रतिनिधि मंडल गए तथा संयुक्त प्रदर्शन आयोजित किए गए. ज्यादातर सदस्यों का कहना है कि सेक्सुअल मानहानि से प्रबंधक कामगार महिलाओं को अपने दबाव के सामने समर्पित करने की कोशिश करते हैं और यह अब उनका एक हथियार बन गया है. इस मुद्दे पर काफी प्रकाश डाला गया. कई राज्यों में कोआर्डिनेशन कमेटी व महिलाओं के अन्य संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मार्च 8, मनाया.

संघर्षों में दफ्तरों के कर्मचारियों जैसे जीवन बीमा, बैंक, ई. एस. आई. आदि नर्सों, डाक्टरों, अध्यापिकाओं, टेलीफोन कर्मचारियों, खेत मजदूरों, केशू, चाय, रबड़, सन बागान के मजदूरों, फैक्ट्रियों व कारखानों के मजदूरों तथा हरिजनों की मांगें शामिल थीं. कई राज्यों में कोआर्डिनेशन कमेटी ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ संयुक्त प्रदर्शन किए जिससे खास तौर से कामगार महिलाओं और आम तौर से जनता में काफी उत्साह पैदा हो गया है. इन आंदोलनों को जनता से काफी साथ मिला.

रिपोर्ट : कोआर्डिनेशन कमेटी की सचिव विमल रणदिवे ने रिपोर्ट पेश की जिसमें आंदोलनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में हमारे प्रतिनिधियों को महिलाओं की बेरोजगारी पर बनी कमेटी और समान वेतन कमेटी में शामिल किया गया है. उन्होंने निकोसिया कानफ्रेंस के बारे में भी बताया जिसमें उन्होंने पिछले साल भाग लिया था.

फैसले : महिलाओं के संगठनों के साथ मिल कर कामगार महिलाओं का अखिल भारतीय प्रदर्शन आयोजित करने के फैसले को दोहराया गया. अब यह इस वर्ष अक्तूबर के महीने में आयोजित किया जाएगा. यह भी फैसला किया गया कि दो महीने में एक बार एक 'बुलेटिन' निकाला जाएगा जिसकी कीमत 50 पैसे होगी. कोआर्डिनेशन कमेटी ने यह भी तय किया कि, जहां भी संभव हो सीटू के आह्वान पर 21 अप्रैल को मनाए जाने वाले अखिल भारतीय मांग दिवस में भाग लिया जाए. मीटिंग में कई प्रस्ताव पास किए गए जिसमें जरूरत की चीजों के दामों में वृद्धि, महिलाओं के कमजोर हिस्से पर अत्याचार और हांसी के मजदूरों की पत्नियों आदि पर प्रस्ताव शामिल हैं.

ध्यान नहीं: सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने बहस और राज्यों में गतिविधियों में प्रगति के बारे में सुनने के बाद विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला और कोआर्डिनेशन कमेटी का मार्ग दर्शन किया. उन्होंने कहा कि इतने सालों से कामगार महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया. कानून मौजूद हैं लेकिन सरकार भी यह जानती है कि ट्रेड यूनियनें भी इन्हें नहीं उठाएंगी. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्टों को ताक पर रख दिया गया है. हालांकि ट्रेड यूनियनों को सामान्यता कामगार महिलाओं की समस्याओं पर भी संघर्ष करना चाहिए, लेकिन, ट्रेड यूनियनें महिलाओं के लिए संघर्ष को दूसरे दर्जे का मानते हैं. संघर्ष केवल सरकार के खिलाफ ही नही है बल्कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के भीतर भी संघर्ष होगा. ट्रेड यूनियन में महिलाओं की नुमाइंदगी केवल सांकेतिक नहीं होनी चाहिए बल्कि वास्तविक नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि मुद्दों पर संघर्ष किया जा सके.

बृहत्तर संघर्ष : उन्नत पूंजीवादी देशों में भी उन्हीं समस्याओं पर ध्यान दिलाया जा रहा है जिन पर यहां संघर्ष

संघर्ष कठिन है : एकजुट हो

हो रहा है. वहां महिलाएं तंग किये जाने के डर से संघर्ष करने से घबराती हैं. उन्होंने कहा कि कामगार महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है और उनकी समस्याएं भी काम के बाद महिलाओं को घर का काम भी करना पड़ता है और इस तरह वे पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं. अतः संघर्ष लगातार करना होगा. उन्होंने मुद्दों पर कामगार महिलाओं के संयुक्त मोर्चे के बारे में बिस्तार से कहा. यह संघर्ष बृहत्तर संघर्ष होना चाहिए और इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि यह संशोधनवादी मांगों या पुरुष और महिलाओं के बीच समस्या तक सीमित न रहे. उन्होंने कहा कि सेक्सुअल मानहानि के हथियार से कामगार महिलाओं को आतंकित किया जाता है. संकीर्ण नारीवाद महिला आंदोलन को वर्ग संघर्ष का हिस्सा बनने से रोकता है.

सीटू अध्यक्ष ने कमेटी से कहा कि वह अपने अनुभव के आधार पर स्थानीय स्तर के फौरी मुद्दों पर तुरंत संघर्ष करें. कामगार महिलाओं की समस्याओं पर अन्य संगठनों के साथ मिलकर सम्मेलन आदि आयोजित किए जाएं ताकि मुद्दों के बारे में सबको जानकारी प्राप्त हो. ये मुद्दे केवल सीटू से संबंधित महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि और दूर तक फैले होने चाहिए ताकि महिला मोर्चा ट्रेड यूनियन आंदोलन पर छाप डाल सके. महिलाओं को न तो संघर्ष से बाहर होना चाहिए और न ही केवल दर्शक मात्र. उन्हें जोर देना चाहिए कि उनकी समस्याओं पर ध्यान जाए. यह सवाल इसके साथ भी जुड़ा है कि पतियों और ट्रेड यूनियनों में मजदूरों की समझ क्या है. उन्हें यह जानना चाहिए कि महिलाओं के साथ उनकी समस्याओं पर संघर्ष में साथ न देने का मतलब है अपने ही आंदोलन को पीछे ले जाना. महिलाओं को ट्रेड यूनियन आंदोलन में हर स्तर पर भाग लेना होगा. और इस लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन पर लगातार दबाब डालना होगा.

सख्त संघर्ष: राज्यों में कमेटियों की सदस्यता के बारे में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सीटू की स्थानीय कमेटियों से मिलकर हल करना चाहिए. अगर मुमकिन हो सके तो कमेटी को 'पुलिस और महिला' पर एक पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें पिछले सालों के अत्याचारों की चर्चा होनी चाहिए. यह किताब चुनाव अभियान में भी मदद देगी. रणदिवे ने कहा कि सख्त संघर्ष करना है और हमे कोआर्डिनेशन कमेटी के मध्यम से ही काम करना चाहिए और संशोधनवाद में नहीं पड़ना चाहिए.उन्होंने कहा कि हो सकता है हमें तुरंत कोई फल न मिले लेकिन मौजूदा ढांचे के खिलाफ लड़ाई को मध्येनजर रखते हुए कामगार महिलाओं को मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. अंत में उन्होंने कोआर्डिनेशन कमेटी से अपील की कि वह नीचे के स्तर से दबाब डालें ताकि ट्रेड यूनियन आंदोलन उनकी समस्याओं पर ध्यान दे.

स्मरण-पत्र: बाद में 25 मार्च को कोआर्डिनेशन कमेटी का एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमडल केंद्रीय श्रम मंत्री जे. बी. पटनायक से मिला और एक स्मरण-पत्र दिया. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुशीला गोपालन, एम. पी. ने किया और इसमें अहिल्या रंगनेकर और बिमला रणदिवे के अलावा आंध्र प्रदेश, तामिलनाडु और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल थे.

मुख्य मांगे जो उठाई गई थी वे हैं: कामगार महिलाओं की सुरक्षा खास तौर से हाल ही के अत्यचारों, जैसे हांसी और हिसार के हड़ताली मजदूरों की पत्नियों के साथ बलात्कार, को मध्येनजर रखते हुए; ठेका प्रथा की समाप्ति, न्यूनतम वेतन, कामगार महिलाओं के बच्चों के लिए लालन-पालन के लिए स्थान, पदोन्नति प्रशिक्षण और वेतन के मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करना और सभी महिलाओं, खास तौर से नर्सों की, की सेवाशर्तों में सुधार.

श्रम मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के इस सुझाव से सहमति प्रकट की कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से वेतन संशोधन व अन्य कमेटियों में महिला प्रतिनिधि भी लें और भेदभाव खत्म करने के लिए कामगार महिलाओं की प्रतिनिधियों की एक देखरेख कमेटी बनाई जाए. श्री पटनायक ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और महिला संगठनों के महिला प्रतिनिधियों की जल्द ही एक बैठक बुलाने का वायदा किया, जिसमें कामगार महिलाओं की समस्याओं पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त हल खोजा जाएगा.

वाममोर्चा सरकार की रक्षा करो

[पृष्ठ पांच से आगे]

उन्होंने यूनियनों का आह्वान किया कि उन्हें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व केरल की वामपंथी व जनवादी सरकारों को बचाना होगा. सीटू को इन सरकारों की उपलब्धियों को आम जनता में प्रचारित करने में पहलकदमी करनी चाहिए, जिससे कि उनके बचाव के लिए मजदूर वर्ग व जनवादी आंदोलन को तैयार किया जा सके.

रणदिवे ने सूचित किया कि बंगाल राज्य सीटू सम्मेलन दमदम में मई के अंतिम सप्ताह में होगा. सम्मेलन के तत्काल बाद सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक होगी.

वर्किंग कमेटी की बैठक इस विश्वास के साथ समाप्त हुई कि सीटू को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे तथा भविष्य में आने वाले संघर्षों में यह और अधिक गौरवपूर्ण भूमिका निभा सकेगी.

कमानी इंजीनियरिंग मजदूरों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल

कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन वर्कर्ज यूनियन (सीटू) के मजदूर निगम के लखनऊ कार्यालय के सामने 14 फरवरी से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं. उनकी मुख्य मांगों में 42 छंटनी किए गए मजदूर साथियों की बहाली व श्रम कानून को क्रियान्वित करने की मांग भी है.

1930 का शोलापुर मजदूर विद्रोह

इस वर्ष भारत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1930 में घटित तीन महत्वपूर्ण घटनाओं की 50 वीं वर्षगांठ मना रहा है. ये तीन घटनाएं हैं—चटगांव आरमरी रेडर्स का विद्रोह, पेशावर में भारतीय सेना का विद्रोह तथा शोलापुर में मजदूरों का विद्रोह.

शोलापुर के मजदूर विद्रोह ने कुछ समय तक इस शहर की साम्राज्यवादी हुकूमत की नींव ही हिला देने के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम में मजदूर वर्ग की अहम् भूमिका को दर्शाया था. इस सशक्त आंदोलन ने यह दिखा दिया था कि यदि मजदूर वर्ग को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में और अधिक लामबंद किया जाता तो स्वतंत्रता आंदोलन के स्वरूप में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता था. कुछ तत्कालीन ब्रिटिश लेखकों ने यह भी कहा था कि **यदि कुछ और शहर भी शोलापुर की भांति संघर्ष में आगे बढ़े होते तो भारत में स्थित ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सारी सशस्त्र सेना भी उन्हें कुचलने में नाकामयाब सिद्ध होती.**

गरीबी व भुखमरी की हालत

पांच कपड़ा मिलों, जिनमें से दो मिलें अंग्रेजों द्वारा संचालित थीं, के 30 हजार मजदूरों में काफी समय से असंतोष फैला हुआ था. इस रोष ने विद्रोह की भूमिका तैयार की थी. इसके अतिरिक्त 10 हजार हथकरघा मजदूर गरीबी व भुखमरी की हालत में जी रहे थे. यद्य पि इस क्षेत्र में संगठित मजदूर आंदोलन बिल्कुल नया था, फिर भी मजदूरों ने कई स्थानों पर शोषण व अमानवीय व्यवहार के खिलाफ संघर्ष किये थे. ट्रेड यूनियनों में संगठित मजदूरों में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी. बढती हुई राजनीतिक चेतना का उदाहरण यह तथ्य है कि विद्रोह से कुछ पहले शहर में हुए राजनीतिक जलसों में मजदूर बडी तादाद में भाग ले रहे थे. कारखानों के गेट भी आंदोलन के केंद्र बने हुए थे. इन केंद्रों से ही आर्थिक गरीबी व विदेशी प्रभुसत्ता के खिलाफ संघर्ष की लहरें पैदा हो रही थीं

लाल झंडा

शोलापुर के मजदूर लाल झंडे के महत्व से फरवरी 1930 में ही परिचित हो गये थे जब जी. आई. पी. रेलवे मजदूर (अब मध्य रेलवे) 25 दिनों की लंबी हड़ताल पर गये थे. हड़ताल के दौरान मजदूर प्रतिदिन हाथों में लाल झंडे लिए जुलूस की शक्ल में शहर की ओर जाते थे. उन्होंने पुलिस के आतंक का सामना किया व रेलवे मकानों से मजदूरों के निकाले जाने का जमकर विरोध किया. 22 फरवरी को जब श्री सी. राजगोपालाचारी शोलापुर आए तो उन्होंने अपनी मीटिंग में लाल झंडे लिए रेलवे मजदूरों को देखा और शहर के लोगों से अपील की कि वे हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता व हमदर्दी दिखाएं.

1928 में भी सभी कपड़ा मिलों के मजदूर तीन महीने की लंबी हड़ताल पर गए थे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जमकर संघर्ष किया था. इस हड़ताल के दौरान ही बंबई टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन की एक शाखा शोलापुर में स्थापित की गई थी.

गौरवशाली संघर्ष

1930 का गौरवशाली संघर्ष 6 मई को आरंभ हुआ. इस दिन सारे शहर में दो दिन पहले हुई गांधीजी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रकट करने का निश्चय किया गया था. स्थानीय कांग्रेस पार्टी ने व्यापारियों, छात्रों, वकीलों तथा समाज के अन्य वर्गों को 7 मई को हड़ताल रखने का आह्वान किया. किंतु इससे पहले 6 मई को मजदूरों की एक आम सभा हुई थी जिसमें यह निश्चय किया जाना था कि मजदूर हड़ताल पर जाएं अथवा नहीं, सभा में वक्ताओं ने मत व्यक्त किया कि मजदूरों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए. किंतु मजदूरों ने इन तथाकथित नेताओं की एक न सुनी व स्वेच्छापूर्वक निश्चय किया कि वे साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे. मजदूरों के इस निर्णय से कुपित हो अंग्रेज सरकार की पुलिस ने मिल गेटों पर मजदूरों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया. मजदूरों ने इसका प्रतिवाद किया जिसके फलस्वरूप कुछ पुलिसवालों व अधिकारियों को चोटें आईं. इसके बाद शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें पुलिस के अमानवीय व्यवहार की निंदा की गई. मिल के आसपास के क्षेत्रों में ताड़ी व

एम. के. पंधे

अंग्रेजी शराब की दुकानों पर धावा बोल दिया गया व शराब सड़कों पर बिखेर दी गई.

शोलापुर के जिला मजिस्ट्रेट ने 7 मई 1930 को बंबई सरकार के गृह-सचिव को लिखे एक पत्र द्वारा सूचित किया "मुझे अफसोस है कि शराब की दुकानों को क्षति पहुंचाई गई. किन्तु ड्यूटी पर तैनात केवल 100 पुलिस कर्मचारी 18 हजार मिल मजदूरों के सशक्त जुलूस का मुकाबला कर इन दुकानों को नहीं बचा सकते थे". शहर के देशभक्त नवयुवक बड़ी तादाद में मजदूरों में शामिल हो गए व विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया. सत्याग्रह के इस सिद्धांत का कि आंदोलन करने से पूर्व पुलिस को इसकी सूचना दी जानी चाहिए को तोड़ते हुए मजदूरों व युवकों ने कई ताड़ी के वृक्षों को काट डाला तथा बहादुरी से पुलिस की कार्रवाई का सामना किया.

8 मई को हड़ताल जारी रही. मजदूर व शहर के युवक शहर के अंचल में लगे ताड़ी के वृक्षों को काटने का आंदोलन आगे चलाते रहे. वे पुलिस को रोकने के लिए मोर्चाबंदी भी करते रहे. 10 हजार से अधिक आंदोलनकर्त्ताओं को डराने व उनके घेरे से पुलिस को निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दिया. इस गोलीकांड में कई व्यक्तियों की जानें गईं. किंतु इसके बावजूद

साम्राज्यवाद के सारे प्रतीकों पर हमला

पुलिस मजदूरों के प्रतिरोध का सामना करने में असमर्थ रही. मजदूरों के बढ़ते हुए रोष को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों ने भागकर अपनी जान बचाना ही ठीक समझा. गुस्से से भरी भीड़ ने तब नजदीक के मंगलवर पेठ पुलिस स्टेशन पर धावा बोला व इसमें आग लगा दी. पुलिस स्टेशन में दो पुलिस कर्मचारी मारे गए. लोगों ने अन्य कई पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए. इन सब चौकियों में तैनात पुलिस कर्मचारी चौकियां खाली छोड़ कर भाग गए.

देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत जनता तब जिला अदालत की ओर बढ़ गई. जिला अदालतें साम्राज्यवादी अन्याय व आतंक का एक प्रतीक थी. जनता ने अदालत को आग लगा दी जिसमें इसके सारे कागजात व भवन जल गया. देशभक्ति के उन्माद से भरे लोगों ने साम्राज्यवाद के सारे प्रतीकों व चिह्नों को नुकसान पहुंचाया.

अंधाधुंध गोलीबारी

ब्रिटिश सरकार घबरा गई कि क्रुद्ध जनता अब जिला कलक्टर के दफ्तर व सिविल लाइंज की ओर बढ़ जाएगी. अधिकारियों ने तत्काल सशस्त्र पुलिस की दो गाड़ियां मंगवाई. सशस्त्र पुलिस ने बिना कोई चेतावनी दिए चारों ओर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी. शहर के सभी बड़े रास्तों व चौराहों पर गोलियां चलती रहीं व जो व्यक्ति भी इसकी चपेट में आया उसे जान से हाथ धोना पड़ा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12 व्यक्ति इस गोलाबारी के शिकार हुए किंतु सच्चाई यह है कि मृतकों की संख्या इससे बहुत अधिक थी. बहुत से घायल व्यक्ति उपचार के लिए न तो हस्पताल गए और न ही अधिकारियों को इस बारे में कोई सूचना दी. उन्हें डर था कि ऐसा करने पर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मृतकों के बारे में स्थानीय नगर निगम के रेकार्ड जिला मजिस्ट्रेट ने जब्त कर लिए.

अधिकारी भाग गए

बढ़ते हुए जन-आंदोलन से घबराकर जिला मजिस्ट्रेट व डी. एस. पी. शहर छोड़कर भाग गए. कई ब्रिटिश अधिकारियों के परिवारों को पूना भेज दिया गया. सरकार ने मंगलवर पुलिस चौकी में मारे गए दोनों पुलिस कर्मचारियों के मुस्लिम होने के तथ्य को सांप्रदायिक रंग देने की भी पूरी कोशिश की जिससे कि आंदोलन टूट जाए. किंतु सरकार के ये नापाक इरादे सफल न हुए. मजदूरों ने सांप्रदायिक एकता को टूटने न दिया. 1 मई को बकर-ईद थी और इस दिन सांप्रदायिक एकता व शांति का वातावरण बना रहा.

तिरंगा राज

बंबई से ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन व रायल आफीसर्ज की दो बटालियनें विद्रोह को कुचलने के लिए शोलापुर की ओर रवाना हो गईं. इस दौरान जबकि सरकार निहत्थी जनता के विद्रोह को कुचलने की तैयारियां कर रही थी, शहर का प्रशासन ठप्प हो गया. जनता स्वयं ही शहर का काम-काज चला रही थी. इस दौरान शहर में एक वैकल्पिक प्रशासन की स्थापना की कोशिश की गई. देश के एक प्रमुख अखबार ने लिखा कि शहर में 'तिरंगे राज' की स्थापना हो गई थी.

एसोसियेटिड प्रस के संवाददाता ने 'टाइम्ज आफ इंडिया' में लिखा : "शोलापुर के बाजारों में किसानों, मिल मजदूरों व छोटे व्यापारियों के दिलों में यह विश्वास पैदा किया जा रहा है कि 'ब्रिटिश राज समाप्तप्राय है व गांधी राज आ रहा है. जो लोग इस तरह के विचार फैला रहे हैं, वे इसके समर्थन में यूरोपीय नागरिकों के खाली बंगलों, खाली पुलिस चौकियों व शहरों की सड़कों पर पुलिस कर्मचारियों की अनुपस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हैं. अपने इस कथन के समर्थन में वे जिला मजिस्ट्रेट अदालत के जले भवन, रेकार्ड व कागजातों को भी दिखाते हैं जो कि उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार के ध्वंस के प्रतीक हैं. उनके अनुसार 'गांधी राज' आने का प्रमाण कांग्रेस के स्वयंसेवक हैं जो सड़कों पर यातायात को इस प्रकार नियंत्रित कर रहे हैं जैसा कि इससे पहले सरकारी पुलिस कर्मचारी किया करते थे. सड़कों पर कभी-कभी होने वाली फौज की गश्तों को वे एक मृतप्राय शासन के दीवे की आखिरी लो मानते हैं जो बुझने से पहले अंतिम रूप से भड़क उठती है. इस शाम को जब शहर के मध्य भाग से फौज की टुकड़ियों को वापिस बुला लिया गया तो उनके अनुसार इसका अर्थ ब्रिटिश शासन का अंत था."

राष्ट्रीय-ध्वज फहराया गया

जनता के मूड का पता उस तार से लगता है जो बंबई सरकार ने 11 मई 1930 को केंद्र सरकार को भेजा. इस तार में कहा गया कि "शोलापुर के हालात कल शाम से लगातार खराब हो रहे हैं. गश्ती टुकड़ियों को लिए एक ट्रक रास्ते में फेल हो गया. तत्काल इसे भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया. भीड़ शांतिपूर्ण किंतु अपने इरादे पर अडिग रही. तितर-बितर होने का आदेश मिलने के बावजूद वह हटी नहीं. आखिरकार ट्रक को वापिस ले जाना पड़ा. आंदोलनकर्ताओं द्वारा पुलिस चौकी में रखे सामान को बाहर फेंका गया तथा बीच रास्ते में रख इसमें आग लगा दी गई. चौकी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया."

संघर्ष शोलापुर से 8 मील दूर बालसांग शहर में भी फैल गया. यहां भी पुलिस चौकी को आग लगा दी गई.

बुर्जुवा नेतृत्व की प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय नेताओं की इन घटनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी इसकी अभिव्यक्ति उस हस्ताक्षरयुक्त इंटरव्यू से होती है जो गांधीजी ने जेल से ही 'डेली हेरल्ड' के विशेष प्रतिनिधि को दिया था. 23 मई 1930 को 'द टाइम्ज आफ इंडिया' में छपे इस इंटरव्यू में लिखा गया.

"....वे (गांधी जी) शोलापुर में हुई कथित हिंसक घटनाओं से बहुत चिंतित

[शेष पृष्ठ उन्नीस पर]

तानाशाही ताकतों को विधान सभा चुनावों में करारी शिकस्त दो

[मुख्य पृष्ठ से आगे]

उसके स्थान पर एकात्मक व अधिनायकवादी ढांचे को स्थापना का खुला प्रयत्न है."

चुनौती : आने वाले राज्य विधान सभाओं के चुनावों की चुनौती का जिक्र करते हुए सीटू अध्यक्ष ने कहा 'अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संस्थाओं के साथ मिलकर हमारी ट्रेड यूनियनों को इन चुनावों में अधिनायकवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करना है..... चुनावों का जो भी परिणाम हो, जन आन्दोलनों व जन संघर्षों पर निर्भर करते हुए हमें यह संघर्ष जारी रखना है. **आज के संघर्षों में पहलकदमी व हिस्सेदारी ही भविष्य के गौरवपूर्ण संघर्षों का आधार बनेगी.**"

आसाम में साम्राज्यवाद का षड़यंत्र : भारत का विभाजन

भारत विरोधी रूप : पिछड़े हुए सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर असम, की जनता द्वारा पिछड़ेपन व बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष से सहानुभूति प्रकट करते हुए रणदिवे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन राज्यों के आंदोलन अपने पथ से भटक गए हैं तथा इन आंदोलनों ने अंधक्षेत्रीयवादी व भारत विरोधी रूप अपना लिया है. उन्होंने आगे बताया "धार्मिक व भाषाई अल्प संख्यकों के खिलाफ जुल्म का आंदोलन की न्यायोचित मांगों के साथ कोई संबंध नहीं है. अन्य राज्यों से आए व बसे हुए लोगों को असम के आंदोलन के कुछ प्रतिक्रियावादी नेता 'विदेशी' बतला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए. ऐसा करना देश की एकता व नागरिकता की बुनियादी अवधारणा के खिलाफ है और जनता व मजदूर वर्ग को इसका मुकाबला करना होगा. **उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों को भारत से अलग करना व कमजोर बनाना सदा से ही साम्राज्यवादियों का इरादा रहा है. अफसोस यह है कि असम के कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व उनके हाथों की कठपुतली सिद्ध हो रहे हैं."**

राष्ट्रीय एकता : सीटू अध्यक्ष ने मजदूर वर्ग से कहा कि वे इस खतरे की ओर सारे देश का ध्यान आकर्षित करें व प्रधान मंत्री द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में असम समस्या पर हुई राष्ट्रीय सहमति का समर्थन करें. मजदूर वर्ग को असम में स्वस्थ शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए व राष्ट्रीय एकता की भावना को स्थापित करना चाहिए" उन्होंने सीटू यूनियनों, मजदूरों, जनवादी छात्र संगठनों, अध्यापकों तथा अन्य सभी व्यक्तियों को बधाई दी जो घातक हमलों, धमकियों और हिंसा का बहादुरी से सामना कर रहे हैं उन्होंने कहा "वे लोग जो असम के आंदोलन में साम्राज्यवादी शक्तियों की भूमिका को नजर अंदाज कर रहे हैं वे देश के खिलाफ साम्रज्यवादी मसूबों व साजिशों को नहीं समझ पा रहे हैं," उन्होंने कार्यसमिति को बताया, "साम्राज्यवादी शक्तियां इस क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी रखती हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में वामपंथी आंदोलन आगे बढ़ रहा है. विघटनकारी आंदोलन बढ़ाना, अंधक्षेत्रीयवाद की भावनाओं को भड़काना, असमी भाषी व्यक्तियों को बंगला भाषियों के खिलाफ खड़ा करना साम्राज्यवाद की रणनीति का ही एक हिस्सा है और इन्ही हथकंडों से वे बढ़ते हुए वामपंथी आंदोलन को रोकने का इरादा रखते है".

आग में घी : पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग, आम जनता, वामपक्षीय पार्टियों तथा सीटू को इस बात पर बधाई देते हुए कि उन्होंने गंभीर उत्तेजक कार्रवाइयों के बावजूद पश्चिम बंगाल में शांति बनाए रखी तथा वर्ग एकता व राष्ट्रीय भाइचारे का परिचय दिया, बी. टी. रणदिवे ने कहा : "ऊंचे स्तर की राजनीतिक चेतना से लैस जनता व वर्ग एकता व राष्ट्रीय अखंडता के प्रति जागरुक राजनीतिक पार्टियां ही इस प्रकार का उत्तम प्रदर्शन दिखा सकते हैं. अफसोस की बात है कि कांग्रेस (आई.) की पश्चिम बंगाल शाखा के नेता असम को जाने वाले रास्ते बंद कर रहे हैं व इस प्रकार पृथकतावाद की आग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं. इस प्रकार की उत्तेजक कार्रवाई पश्चिम बंगाल या असम ही नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचाती है. शायद इस कार्रवाई के पीछे एक इरादा वामपंथी सरकार के लिए कानून व व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना है. यदि इंदिरा कांग्रेस का राष्ट्रीय एकता में विश्वास है तो इसे अपनी पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेताओं को फटकारना चाहिए और उनसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि इस प्रकार की उत्तेजक कार्रवाइयां न करें".

संभावित खतरे

साम्राज्यवादी षड़यंत्र : सीटू अध्यक्ष ने साम्रज्यवाद की ओर से हमारे देश को आने वाले संभावित खतरों से आगाह किया. बंगलादेश से चल रहे जल-विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में बंगलादेश को और छूट देने से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा व कलकत्ता बंदरगाह ठप्प हो जाएगा. अफगानिस्तान व सोवियत रूस के फिलाफ साम्राज्यवादी षड़यंत्रों की विफलता का जिक्र करते हुए रणदिवे ने कहा, "साम्राज्यवादी अमरीकी मंसूबों के आगे भारत को घुटने टिकाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं...अमरीका ने एशिया के देशों को आपस मे लड़वाने के अपने इरादों को कभी नहीं छोड़ा है". उन्होंने चेतावनी दी, 'यदि मजदूर वर्ग **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरनाक घटनाक्रम व हमारी सीमाओं के पार साम्राज्यवादी षड़यंत्रों के प्रति जगरुक नहीं होगा तो यह निम्नकोटि के अवसरवाद व राजनीतिक चेतना के पिछड़ेपन का परिचायक होगा".**

वाम मोर्चा सरकारों की रक्षा करो

राजनीतिक लड़ाई : उन्होंने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व केरल की वामपक्षीय सरकारों को बधाई दी और इनके द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों की सराहना की. उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में जनजातियों के लाभ के लिए स्वायत जिलों की स्थापना आर्थिक आत्मनिर्भरता व संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में नया अध्याय होगा. प्रतिक्रियावादी इसका सदा ही विरोध करते आए हैं. उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि पश्चिम बंगाल का मजदूर वर्ग किसानों, कर्मचारियों तथा अन्य मेहनतकश तबकों के साथ मिलकर अधिनायकवादी तत्वों द्वारा पैदा की जा रही मुश्किलों से सामना करेगा व वामपंथी सरकार की रक्षा करेगा" रणदिवे ने आगे कहा, "केरल व पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग व सीटू यूनियनों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे वामपंथी सरकारों को जनवादी प्रगति के एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करें तथा उन्हें हर प्रकार के हमलों से बचाएं, वामपंथी सरकारों का बचाव एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है और अधिनायकवाद के खिलाफ जनता के संघर्ष का अभिन्न अंग है".

उत्पादन से जुड़ा बोनस

उत्पादकता से जुड़े बोनस के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए रणदिवे ने बताया, "**दोनों रेलवे फेडरेशनों के नेतागण तथा कुछ और व्यक्ति तात्कालिक आर्थिक लाभ के मोह में आकर उत्पादकता से जुड़े बोनस के सिद्धांत को मान गए हैं तथा बोनस के विलंबित मजदूरी के सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया है.** हम समझते हैं कि रेलवे कर्मचारी तथा अन्य मजदूर वास्तविक मजदूरी के स्तर के लगातार गिरने से इतने परेशान है कि वे किसी भी तात्कालिक आर्थिक लाभ को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं". किंतु उन्होंने चेतावनी दी कि "सरकार व मालिकान इस उदाहरण से प्रोत्साहित होकर मजदूरों के अन्य वर्गों पर दबाव डालेगी व उनको उत्पादकता से जुड़े बोनस के सिद्धांत को मानने पर मजबूर कर देगी".

समाचार-पत्रों के कर्मचारियों का समर्थन

समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए पालेकर वेतन अधिकरण की अंतरिम सिफारिशों का रणदिवे ने स्वागत किया किंतु साथ ही उन्होंने समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को इसके दायरे से बाहर रखे जाने व समाचारपत्रों के घन्नासेठों के रवैये पर अफसोस जाहिर किया. उन्होंने सीटू यूनियनों से कहा कि यदि अखबारों के मालिक पालेकर अधिकरण की अंतिम सिफारिशों को मानने में आनाकानी करें तो वे अखबार कर्मचारियों के संघर्षों को पूरा सहयोग दें.

कामगार महिलाओं को संगठित करो

संयुक्त कदम : महिला मजदूरों के अधिकारों की रक्षा व उनको ट्रेड यूनियन आंदोलन से जोड़ने के लिए सीटू द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयत्नों का जिक्र करते हुए सीटू अध्यक्ष ने कहा, "**कामगार महिलाओं को बड़े पैमाने पर संगठित करना होगा जिससे कि वे हमारे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा सकें.**" ग्रामीण क्षेत्रों में कामगार महिलाओं पर हो रहे हमलों पर बोलते हुए रणदिवे ने कहा, "**यह हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिये कि फैक्ट्रियों में काम करने वाली मजदूर औरतें तथा अन्य कामकाजी महिलायें अपने अधिकारों की रक्षा तथा जुल्मों के खिलाफ संघर्ष करने को बृढ़ संकल्प हैं.** सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस तथा निहित स्वार्थों द्वारा पाले हुए गुंडे गरीब वर्गों (विशेषकर हरिजन) औरतों को सताते है व बलात्कार तक करते हैं. वर्तमान सरकार ऐसे दुःखी लोगों के लिए बहुत सहानुभूति दर्शाती हैं किन्तु इन्हें रोकने में असमर्थ है क्योंकि यह उन निहित स्वार्थों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती जो इन जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को इन अपराधों को रोकने के लिए मिलकर कदम उठाने चाहिए.

मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमले

मंदी : मजदूर वर्ग को अपने जीवनयापन के स्तर पर होने वाले बढ़ते हुए हमलों का विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिये. ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं जबकि सारी पूंजीवादी दुनिया पर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं व आर्थिक समस्यायें पैदा कर रहे हैं. मंदी का खतरा ऐसे समय पर मुंह फाड़े खड़ा है जबकि मुद्रास्फीति की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा उक्त पूंजीवादी देशों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है. हमारे देश में भी अर्थिक हालात दिनों-दिन खराब हो रहे हैं. इन हालातों को विदेशों से भारी मात्रा में आर्थिक ऋण लिए बिना सुधारा नहीं जा सकता. आम जरूरत की वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों व अभाव के बारे में बताते हुए रणदिवे ने टिप्पणी की कि "इस कारण पैदा हुई लोगों की मुसीबतों का अन्दाज सहज ही लगाया जा सकता है. जनता अब समझने लगी है कि इन्दिरा सरकार द्वारा दिए स्थिरता के नारे का अर्थ मूल्यों में स्थिरता लाना या उन्हें कम करना नहीं था. स्थिरता का अर्थ आम आदमी की क्रय शक्ति की स्थिरता नहीं थी."

कमरतोड़ कर : सीटू अध्यक्ष ने आगे कहा, "साफ जाहिर है कि इन हालातों में सरकार के पास कमरतोड़ कर लगाने के अलावा और रास्ता नहीं है किन्तु आने वाले राज्य विधान सभाओं के चुनावों को देखते हुए यह ऐसा करने का साहस नहीं कर सकती. इसलिए पूरे बजट के स्थान पर अंतरिम बजट पेश किया गया तथा इसमें कोई नए कर लगाने का सुझाव नहीं दिया गया. रेलवे, डाक व तार तथा रक्षा कर्मचारियों को एक प्रकार का बोनस देने का आश्वासन दिया गया है. किन्तु दूसरी ओर इस बजट में 1200 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है. पिछले वर्ष का घाटा 2,700 करोड़ रुपये था. अन्तरिम बजट के घाटे के आंकड़े पूरा बजट आने तक और

ट्रेड यूनियन एकता : वामपंथी एकता का आधार

भी बढ़ जायेंगे. इस प्रकार यह वर्ष पूरा होने तक 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की घाटे की अर्थव्यवस्था होगी. इन हालातों में मूल्य और कर बढ़ेंगे नहीं तो और क्या होगा ?"

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पंजे

निमन्त्रण : इन्दिरा सरकार विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मित्रता करने के लिए तत्पर दीखती है. यह उनको विश्वास दिला रही है कि 'फेरा' के प्रावधानों की ओर से वे निश्चित रहें. उपराष्ट्रपति श्री एम. हिदायतुल्ला द्वारा विश्व मार्केटिंग कांग्रेस में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए बी. टी. रणदिवे ने कहा, "उपराष्ट्रपति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक पुकार से यह गारंटी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जैसा कोका कोला व आई. बी. एम. के लिए उठाया गया था." वाणिज्य मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी के बयान की निंदा करते हुए सीटू अध्यक्ष ने याद दिलाया कि "इंदिरा कांग्रेस के 1980 के चुनाव घोषणापत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया था. इस संदर्भ में लोकसभा में दिए गए श्रीमती गांधी के इस जबाब से कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में अभी तक किसी नीति का निर्धारण नहीं किया गया है यह साफ जाहिर है कि इस बारे में सरकार समझौतावादी नीति अपनाने जा रही है." रणदिवे ने चेतावनी दी कि **"इस सब का परिणाम न केवल हमारी अर्थव्यवस्था व आर्थिक स्वतंत्रता बल्कि नौकरी की सुरक्षा व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर आ रहे खतरे के रूप में उभर रहा है. यदि यह रुझान बरकरार रहा तो हम शीघ्र ही देखेंगे कि कम्प्यूटर मशीनरी का प्रयोग बढ़ेगा व नौकरियों की संभावनाएं खत्म होती जायेंगी."**

मजदूरों की संख्या में जबरदस्त कमी

पूंजीपतियों का पक्ष: सीटू अध्यक्ष ने याद दिलाया कि हाल ही के इंदिरा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मजदूरों की जायज मांगों में से एक भी नहीं है. जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, उनके तो अस्तित्व को भी नकारा गया है. हाल ही के वक्तव्यों से जिस आय व मजदूरी की नीति का आभास मिलता है वह वही नीति हे जिस पर चलते हुए कुछ वर्ष पहले अनिवार्य जमा योजना चलाई गई थी. इस नीति का उद्देश्य यह था कि मजदूरों तथा अन्य कमाने वालों के बीच विशेषक (डिफरैंशल) को समाप्त किया जाए जिससे कि पूंजीपतियों द्वारा दी जा रही कुल मजदूरी-राशि को कम किया जा सकें. इस नीति का उद्देश्य यह नहीं है कि शोषक व शोषित वर्गों के बीच के अंतर को कम किया जाए. इसके अतिरिक्त इंदिरा सरकार देश में आम छंटनी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है. लगता है कि वित्त विभाग ने केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को कस दिया है कि वे अपने यहां काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या को कम से कम 10 प्रति शत कम कर दें. केंद्रीय सरकार के इस कदम से पूंजीपति व उद्योग प्रेरणा लेंगें व अपने उद्योगों में मजदूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी करेंगें."

मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति विरोधी संघर्ष

एक ओर देश की अर्थव्यवस्था का संकट गहराता जा रहा है व दूसरी ओर सरकार मजदूरों के जीवनयापन के स्तर को न गिरने देने के बारे में कोई वायदा नहीं कर रही है. इस संदर्भ में सीटू अध्यक्ष ने कहा, "संगठित मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता ही ट्रेड यूनियन अधिकारों व जीवनस्तर की की रक्षा कर सकती है. ट्रेड यूनियन आंदोलन अभी किसानों के संघर्ष व जनवादी आंदोलन से कटा हुआ है. सरकार तथा पूंजीवर्ग की ओर से आ रहे हमलों का सामना करने के लिए हमें अपने आंदोलन की इस प्रमुख कमी को दूर करना होगा. इंदिरा सरकार बदनाम 20-सूत्री कार्यक्रम को पुनर्जीवित कर रही है. इस कार्यक्रम का आधार शहरों व गांवों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है. किंतु यह कार्यक्रम इस आधार को इतनी चालाकी से प्रस्तुत करता है जैसा कि चरणसिंह भी नहीं कर सकते. आपातकाल के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के तुच्छ परिणाम हमने देखे हैं. किंतु इस कार्यक्रम को फिर गांव की कंगाल जनता के सामने जोर-शोर से प्रस्तुत किया जायगा." रणदिवे ने चेतावनी दी कि **"यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन इस बिशाल ग्रामीण जनता की समस्याओं में दिलचस्पी नहीं दिखाता, यदि यह खेतिहर मजदूरों की मांग या किसानों की फसल के अच्छे दाम मिलने की मांग का पुरजोर समर्थन नहीं करता तो इसका परिणाम यह होगा कि सरकार गांव की जनता में फिर भ्रम पैदा करने तथा जनवादी आंदोलन से काटने में सफल हो जाएगी."**

कर्तव्य : "इसी प्रकार ट्रेड यूनियनों तथा हमारे सीटू संगठनों का यह कर्त्तव्य है कि वे मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीति के खिलाफ सारी पीड़ित जनता के संघर्षों का नेतृत्व करें. ट्रेड यूनियनों द्वारा महंगाई भत्ते पर चलाए गए आंदोलनों के परिणामस्वरूप ऐसा लगता है कि ट्रेड यूनियनों तथा आम जनता के बीच अंतर्विरोध पैदा हो रहा है. मूल्यवृद्धि के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का आंदोलन अक्सर महंगाई भत्ता मिलने की मांग तक ही सीमित रहता है. यद्यपि महंगाई भत्ता मिलने की मांग जायज है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मांग सारी जनता की मांग नहीं है."

पूरी भरपाई : सीटू अध्यक्ष ने यूनियनों से कहा कि "हमारी ट्रेड यूनियनों को मूल्यवृद्धि के खिलाफ समाज के सभी वर्गों के मिलेजुले संघर्षों का नेतृत्व करना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि जीवनयापन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य गिराए जाएं तथा ट्रेड यूनियनों व जन समितियों की देखरेख में इनके वितरण की समुचित व्यवस्था की जाय. सभी मेहनतकशों के लिए महंगाई की पूरी भरपाई की मांग करने के लिए साथ-साथ यूनियनों को चाहिए कि वे संगठित प्रयासों द्वारा जरूरी वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था करवाएं तथा उस पर निगरानी रखें. हर जगह ट्रेड यूनियनों को बढ़ती कीमतों के खिलाफ हो रहे जन संघर्षों का नेतृत्व करना चाहिए और सरकार के सामने यह

[शेष पृष्ठ सत्रह पर]

उपनिवेशिक वेतन ढांचा खत्म करो

रेल मंत्री ने 11 मार्च 1980 को रेलवे बजट प्रस्तुत करते हुए कहा : "हालांकि इस वर्ष संगठित मजदूरों के साथ हमारे संबंध आमतौर पर संतोषजनक व सद्भावपूर्ण रहे किंतु फिर भी गैर-मान्यताप्राप्त संगठनों व कैटेगरी-वाइज यूनियनों ने नियमानुसार काम, धीरे काम व आकस्मिक हड़तालें जैसे कई आंदोलनात्मक कदम उठाए जिससे कि रेलवे के काम पर बुरा असर पड़ा."

संसद सदस्य तथा सीटू कार्यसमिति के सदस्य का. एम. एम. लारेंस ने लोकसभा में बोलते हुए इंलैंड ट्रांस्पोर्ट कमेटी के सामने भारत सरकार के इस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया कि मजदूरों से संबंधित सभी विवादों को औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 के तहत हल किया जाएगा और सरकार से पूछा कि क्या सही मानों में ऐसा किया जा रहा है. उन्होंने दक्षिण-मध्य रेलवे में हुए एक मामले का उदाहरण दिया जिसे अधिकारियों ने मध्यस्थता या अधिनिर्णय (एडजुडिकेशन) के लिए भेजने से इंकार कर दिया. उन्होंने बताया : "सच्चाई यह है कि अधिकारीगण कुछ संगठनों की ओर से संयुक्त अपील या स्मरणपत्र तक यह कहकर लेने से इकार कर रहे हैं कि ये संगठन मान्यताप्राप्त नहीं है. हसका परिणाम यह हो रहा है कि रेलवे मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं होता. इस प्रकार की दबी हुई समस्याएं ही आकस्मिक हड़तालों के रूप में उभरती हैं. उदाहरण के लिए 3 लाख अनियत मजदूरों की समस्याओं को लीजिए. मेरी जानकारी के अनुसार इनके अनियत बने रहने का एक कारण यह भी है कि रेलवे अधिकारियों ने गैंग-स्ट्रैंथ को नहीं बदला है जबकि 55 कि. मी. रेलवे ट्रैक आयरन स्लीपर्स तथा कंक्रीट स्लीपर्स को लागू किया जा चुका है जिसमें पहले से अधिक बैलास्ट कुशन की आवश्यकता पड़ती है. इस प्रकार वर्तमान गैंग कर्मचारियों पर काम का भार बहुत अधिक बढ़ गया है जबकि लाखों मजदूर अनियत मजदूरों के रूप में बहुत कम मजदूरी लेकर काम करने पर बाध्य हैं.

इसी प्रकार के हालात स्वयंसेवी बुकिंग क्लर्कों के हैं. इनकी हालत तो बंधक मजदूरों से भी बुरी है. इनसे रोज तीन घंटे अन्य व्यावसायिक क्लर्कों की तरह पूरा काम कराया जाता है लेकिन इनका वेतन अनियत मजदूरों से भी कम है. इसके अतिरिक्त इन्हें रेलवे में स्थाई रूप से नौकरी मिलने की भी कोई संभावना नहीं होती. क्या कोई व्यक्ति मजदूरों के अपनी न्यायोचित मांगों व समस्याओं के लिए आंदोलन छेड़ने के अधिकार को चुनौती दे सकता है ? उदाहरण के लिए रेलवे मजदूरों के वेतन के मामले को ही ले लीजिए. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की तुलना में रेलवे में वेतन सबसे कम हैं. न्यूनतम मजदूरी के स्तर पर रेलवे तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का अंतर 200 रुपये प्रति माह के करीब है.

इंलैंड ट्रांस्पोर्ट कमेटी के दसवें अधिवेशन की रिपोर्ट नं० 3 से पता चलता है कि सारे विश्व में रेलवे कर्मचारियों का वेतनमानों का स्तर अन्य उद्योगों के मजदूरों के वेतनमानों के स्तर से सदा अधिक रहता है. किंतु हमारे देश में पश्चिम बंगाल में स्थित किसी इंजीनियरिंग उद्योग की कोई हर इकाई, जिसमें 1 हजार से अधिक मजदूर काम करते हों, अपने मजदूरों को रेलवे मजदूरों से कम से कम 200 रु० अधिक देती है. कंचनपारा वर्कशाप या सी.एल. डब्ल्यू. में प्रयोग की जा रही तकनीक का स्तर किसी भी अन्य इंजीनियरिंग उद्योग से अधिक होता है. किंतु इसके बावजूद उनका वेतन स्तर इंजीनियरिंग उद्योग की तुलना में कम होता है. भारतीय रेलवे में अभी तक औपनिवेशिक वेतनस्तर चल रहे हैं. क्या रेल मंत्री इन हालातों में मजदूरों को आंदोलन का रास्ता अपनाने पर दोषी ठहरा सकते हैं ?"

उसी दिन राज्य सभा में संसद सदस्य का. कनक मुखर्जी ने रेलवे कर्मचारियों के बोनस के सवाल पर बोलते हुए कहा : "हालांकि रेलवे अधिकारियों ने बोनस की मांग को सिद्धांतत: स्वीकार कर लिया है किंतु इसे बिल्कुल नया रूप दे दिया गया है. उन्होंने इसे उत्पादन से जुड़ा हुआ बोनस माना है जो कि सही मानों में बोनस है ही नही. इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा यदि उत्पादन नहीं बढ़ता या पहले से भी कम हो जाता है ? उत्पादन व बोनस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए." कनक मुखर्जी ने अनियत मजदूरों की समस्याओं का हवाला दिया. उन्होंने भारतीय रेलवे में लागू उपनिवेशिक वेतन स्तरों को बदलने की भी मांग की.

सभाएं व सम्मेलन

युनाइटेड कमेटी आफ रेलवेमैन (यू.सी.आर.) एन.एफ. रेलवे की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक मालदा शहर में 13 व 14 फरवरी को हुई, विभिन्न केंद्रों से आई रिपोर्टों से पता चलता है कि दोनों ही मान्यताप्राप्त फेडरेशनों के नेतृत्व का एक वर्ग असमी मजदूरों की एक नई संस्था बनाने का प्रयत्न कर रहा है. इससे पहले रेलवे मजदूरों के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से भिड़ाने के प्रयत्न किए जाते रहे, लेकिन ये प्रयत्न विफल रहे. तब लुम्डिग में कुछ समाजविरोधी तत्वों की सहायता से उपद्रव भड़काए गए.

21 मार्च को शंटिंग व केबिन स्टाफ के कर्मचारी विशाल प्रतिनिधिमंडल के रूप में बोट क्लब गए और रेलमंत्री को अपना मांगपत्र दिया. संसद सदस्य काम. समर मुखर्जी ने मजदूरों को संबोधित किया.

उत्पादन के लिए खदान-सुरक्षा को हमेशा ताक पर रखा गया

खदान के बाहर भोंपू की तीखी, भयानक आवाज आ रही है. लोग ट्रकों, साइकिलों आदि पर कूद-कूद कर उस जगह से दूर भाग रहे हैं. जिन्हें भागने के लिए कोई वाहन न मिला वे पैदल ही दौड़ रहे हैं. खदान के मुख्य द्वार पर औरतें खड़ी हैं. घबराहट से स्तब्ध हैं. काफी लंबे इंतजार के बाद बचाव पार्टी कुछ मजदूरों को लिए भूगर्भ से बाहर निकलती है व मजदूर बाहर की ओर आते हैं. उदास व थके हुए मजदूर कुछ कहने की हालत में नहीं हैं. लेकिन उन्हें कहने की आवश्यकता भी नहीं. उनके मुरझाए हुए चेहरे भय व चिंता की सारी कहानी खुद ही बता रहे हैं. कोयले की राख व धूल से उनके बदन भरे पड़े हैं.....

दुर्घटनाएं

समय-समय पर विश्व का अंतःकरण खदानों में हुई भयानक दुर्घटनाओं से हिल उठता है. 1963 में जापान में हुई मित्सुई-मिकावा कोयला खदान दुर्घटना जिसमें 450 खदान मजदूरों ने जानें गंवाई व 27 दिसंबर 1976 को बिहार में चसनाला कोयला खानों में हुई दुर्घटना जिसमें 372 मजदूर मौत के शिकार हुए, दिल को दहलाने वाली दुर्घटनाओं के उदाहरण हैं.

खानों में छोटे स्तर की दुर्घटनाएं तो इतनी अधिक होती हैं कि इनका जिक्र अखबारों में खबरों के रूप में भी नहीं आता. केवल ट्रेड यूनियन आंदोलन की सतर्कता के कारण ऐसी दुर्घटनाएं आम जनता के सामने आती रहती हैं. उदाहरण के लिए, 9 अक्तूबर 1979 की भानोरा दुर्घटना में 5 मजदूर मरे. 16 नवबंर 1979 में बकोला खान दुर्घटना में 4 मजदूरों ने जानें गंवाई. मृतकों के अतिरिक्त बीसियों मजदूर इन दुर्घटनाओं में घायल होते रहते हैं. इन दुर्घट नाओं में खानों की छतें ही मजदूरों के ऊपर गिर गई थी. बिहार के धनबाद क्षेत्र में धर्मबंद खान दुर्घटना के पीछे भी यही कारण था. हाल ही में धनबाद क्षेत्र में ही हसियाजाम खान में हुए विस्फोट में 6 मजदूर मारे गए व 50 घायल हो गए. इस प्रकार की दुर्घटनाओं की इतनी अधिक रिपोर्टें आती रहती हैं कि उन सबका यहां जिक्र करना मुश्किल है.

आई. एल. ओ. के निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) के विशेषज्ञों ने 40 वर्षों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर 11 मुख्य खदान-कार्य वाले देशों में मजदूरों की सुरक्षा की समस्या पर गौर किया हैं. ये देश हैं—बेल्जियम, चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, भारत, जापान, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमरीका व सोवियत रूस. इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले हैं—(1) खानों की दुर्घटनाओं में औसत सालाना मृत्यु दर 600 मजदूर या प्रतिदिन 2 मजदूर हैं. (2) विस्फोट तथा आग 70 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है. इससे प्रतिवर्ष सैंकड़ों मजदूर मारे जाते हैं या जीवन भर के लिए विकलांग हो जाते हैं.

मशीनीकरण के खतरे

अत्यधिक मशीनीकरण से उत्पादन तो अवश्य बढ़ता है किंतु इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है. कोयले के अधिक उत्पादन से ज्वलनशील गैस (फायर डैम्प) तथा कोयले की धूल की मात्रा भी बढ़ जाती है. ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिससे बड़े विस्फोट होते हैं. विस्फोट का कारण होने के साथ-साथ कोयले की धूल मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

मशीनों के प्रयोग से कई और प्रकार के खतरे भी पैदा हो जाते हैं. मशीनों को खान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से मजदूरों के खान में फंस जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. कई बार मशीनों का पूरा ध्यान न रखे जाने के कारण मशीनें खान के अंदर ही खराब हो जाती हैं. उनको ठीक करने की प्रक्रिया में लगे हुए मजदूर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं. यदि मशीनों को उत्तम अवस्था में रखा जाए तो ऐसे खतरों से बचा जा सकता है.

उत्पादन बनाम सुरक्षा

आई. एल. ओ. द्वारा दिए गए निष्कर्ष के आंकड़े वस्तुस्थिति से बहुत कम हैं. असल हालात तो और भी अधिक खराब है. इन आंकड़ों में दी संख्या में आधे से अधिक दुर्घटनाए तो केवल भारत का औसत है. इस संदर्भ में बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 24 अक्तूबर 1979 को कोयला-उत्पादन पर बोलते हुए तत्कालीन केंद्रीय श्रममंत्री फजलुर रहमान ने कहा कि यदि सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए तो कोयले का उत्पादन गिर जाएगा और इसलिए इस बारे में लचीली नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है. मंत्री महोदय का मतलब है—उत्पादन बढ़ाओ चाहे कितने ही मजदूर इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवाएं. सुरक्षा के नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है—यदि सरकार व अधिकारियों का यह रुख है तो कोई हैरानी नहीं कि इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं व इतने मजदूर मर रहे हैं. हमारे विचार में यह तर्क गलत है. जितनी कड़ाई से मजदूरों की सुरक्षा के उपाय किए जाएगे उतना ही उत्पादन बढ़ेगा. दुर्भाग्य है कि अधिकारीगण ऐसा नहीं सोचते हैं. परिणाम यह है कि खान मजदूरों को सदा मौत के साये में रहना पड़ता है. उन्हें पता नहीं होता कि उनका जीवन कितना लंबा है. सरकार को चाहिए कि इस समस्या पर वे अपनी नीति बदलें व खान मजदूरों की सुरक्षा की समस्या को प्राथमिकता दें.

पालेकर अधिकरण की सिफारिशें कर्मचारियों के हित में

समाचारपत्रों के पत्रकारों व गैर-पत्रकारों के वेतन तथा सेवा शर्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज श्री डी. जी. पालेकर के एक सदस्यीय वेतन अधिकरण ने अपने प्रारंभिक सुझाव दे दिए हैं तथा सभी पक्षों को आदेश दिया है कि वे इस मामले में अपनी टिप्पणियां अधिकरण के पास भेज दें. याद रहे कि यह अधिकरण भारत सरकार ने वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूजपेपर एम्पलाईज एक्ट 1955 के तहत नियुक्त किया था. सभी पक्षों की ओर से टिप्पणियां मिलने के बाद अधिकरण अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को दे देगा. अधिकरण ने कहा है कि ये टिप्पणियां वह 7 अप्रैल 1980 से स्वीकार करना आरंभ कर देगा तथा उनकी पृष्ठ-भूमि में अधिकरण अपने द्वारा की गई सिफारिशों पर पुन. गौर करेगा व जरूरत पड़ने पर उनमें परिवर्तन या संशोधन भी करेगा. जब यह अधिकरण अंतिम रूप से अपनी सिफारिशें देगा तभी सरकार इनके बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकेगी.

पहली बार

अधिकरण के अंतरिम सुझावों में पहली बार समाचारपत्र कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता, रात्रि-पाली भत्ता, पूरक भत्ता तथा पहले से बेहतर पद्धति क आधार पर महंगाई भत्ता देने का सुझाव है. अब तक इन कर्मचारियों को 1949 के सूचकांक के आधार पर साल में केवल एक बार 10 अंकों की वृद्धि पर महंगाई भत्ता मिलता था. वेतन अधिकरण ने आधार वर्ष को 1949 से बदल कर 1960 कर दिया है. अब महंगाई भत्ता भी प्रति माह के सूचकांक में 6 अंकों की बढ़त या घटत के अनुसार मिलेगा. महंगाई भत्ते में यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन के अनुसार 8 रु. से लेकर 22 रु. तक होगी.

नया वर्गीकरण

वेतन अधिकरण के सुझावों के अनुसार समाचारपत्र उद्योग को 8 वर्गों में बांट दिया गया है जबकि पहले इन्हें केवल 6 वर्गों में बांटा गया था. इस नये वर्गीकरण से 10 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक आय वाले समाचारपत्रों के कर्मचारियों को अधिक वेतन मिल सकेगा. पिछले वेतन अधिकरण ने 2 करोड़ से अधिक वार्षिक आय वाले समाचारपत्रों को एक ही वर्ग में रखा था. किंतु अब इस एक वर्ग को फिर विभाजित किया गया है—1 ए तथा 1 बी. 'द टाइम्ज आफ इंडिया' जैसे समाचारपत्र अब 1 बी श्रेणी में माने जायेंगे व इनके कर्मचारियों को इसके अनुरूप अधिक वेतन मिलेगा. पिछले वेतन बोर्ड के अनुसार इस प्रमुख समाचारपत्र के न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी को कुल 277 रुपये प्रति माह मिलते थे. वेतन अधिकरण ने इस समाचारपत्र के कर्मचारियों को 85 रु. अंतरिम सहायता के रूप में दी थी. अंतरिम सिफारिशों के अनुसार 'द टाइम्ज आफ इंडिया' के न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी को अब अखिल भारतीय सूचकांक 366 के आधार पर 794 रु. प्रति माह मिलेंगे. इससे वेतन में 500 रु. की वृद्धि होगी. वेतनमान तथा अन्य भत्तों के अलावा अधिकरण ने 1 से लेकर 3 फिटमैंट इंक्रीमेंट देने की सिफारिश भी की है. यह इंक्रीमेंट कर्मचारी की कंपनी में सेवा की अवधि के आधार पर तय होगी तथा प्रति 5 वर्ष की नौकरी पर 1 इंक्रीमैंट मिलेगा. अधिकरण की सिफारिशों को 1 जनवरी 1978 से लागू माना जाएगा. न्यूनतम वर्ग वाले समाचारपत्र के न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी का वेतन 197 रु. प्रतिमाह से बढ़कर 387 रु. प्रति माह हो जाएगा.

मालिकों की हठधर्मिता

कुल मिलाकर देखा जाए तो वेतन अधिकरण के प्रारंभिक सुझाव कर्मचारियों के हक में जाते हैं और कर्मचारी इसका स्वागत करते हैं. इसके संक्षिप्त इतिहास पर नजर डाली जाए तो हम पायेंगे कि पहले यह अधिकरण वेतन बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया था व इसके अध्यक्ष श्री पालेकर थे. किंतु समाचारपत्रों के धन्नासेठों ने इस तर्क पर इसका विरोध किया कि इसके अध्यक्ष सरकार की ओर से मनोनीत हैं. 1977 में जब वेतन बोर्ड ने कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश की तो ये मालिकान उससे और नाराज हो गए व असहयोग करने लगे. बाद में उन्होंने वेतन बोर्ड का बहिष्कार ही कर दिया जिससे कि यह बोर्ड अपना काम पूरा न

मदन फडनिस

कर सके. समाचारपत्र मालिकों की इस हठधर्मिता से निपटने के लिए एक्ट को संशोधित करना पड़ा जिसके अनुसार वेतन बोर्ड बदलकर वेतन अधिकरण बन गया. संशोधित एक्ट के तहत ही श्री पालेकर को इसका एकमात्र सदस्य बना दिया गया और उन्हें इसके काम को आगे बढ़ाने के पूरे अधिकार दे दिए गए. 'द टाइम्ज आफ इंडिया' के मालिकों ने जब देखा कि यह अधिकरण कर्मचारियों के हित में सिफारिशें करने जा रहा है तो उन्होंने इसके काम में व्यवधान डालने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी.

दुःखद पहलू

अधिकरण की सिफारिशों का एक ही नकारात्मक पहलू है और वह यह है कि इसने यू. एन. आई. तथा पी. टी. आई. जैसी समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को अपनी सिफारिशों में सम्मिलित नहीं किया है. ऐसा न किए जाने के पीछे अधिकरण ने तर्क दिया है कि उसे इन संस्थाओं का लेखा प्राप्त नहीं हो पाया. अधिकरण इस मामले में इन संस्थाओं के हिसाब का काम चलाऊ विवरण अन्य स्रोतों से प्राप्त कर सकता था और उसके अनुसार इन संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए उचित वेतनमानों की सिफारिश कर सकता था.

सिफारिशें लागू हों

यह सच है कि इन अंतरिम सिफारिशों के आधार पर हम यह मांग नहीं

[शेष पृष्ठ सत्रह पर]

मूल्य-वृद्धि के खिलाफ और जनवाद की रक्षा के लिए संघर्ष करने का आह्वान

पिछली 10 मार्च को हुई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में स्वीकार किए गए एक प्रस्ताव के द्वारा सीटू की पश्चिम बंगाल कमेटी ने मजदूर वर्ग को तानाशाही व मूल्यवृद्धि के खिलाफ तथा राज्य में मजदूरों की जायज मांगों को पूरा कराने के लिए मालिकान के बढ़ते हुए अड़ियल रवैये के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया. सुहृद मलिक चौधरी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की.

वर्तमान राजनीतिक स्थिति तथा मजदूर-वर्ग के कार्य को समझाते हुए सीटू के उपाध्यक्ष और राज्य के मुख्य मंत्री ज्योति बसु ने कहा कि इंदिरा कांग्रेस की सरकार द्वारा नौ राज्यों की विधान सभाएं भंग करने से तथा वाम-मोर्चा सरकार के विरुद्ध चल रहे षड़यंत्र से पता चलता है कि एक बार फिर जनवाद को खतरा उत्पन्न हो गया है. उन्होंने मजदूर वर्ग का कार्यरत लोगों को इस खतरे के खिलाफ इकट्ठा व एकजुट करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाने का आह्वान किया है. पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव मनोरंजन राय ने पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग का महंगाई के खिलाफ, मालिकान द्वारा बढ़ते हुए दमन के खिलाफ तथा केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया है. शांति घटक, बीरेन राय तथा कमल सरकार ने रोबिन मुखर्जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के समर्थन में भाषण किए.

प्रस्ताव में कहा गया है कि सीटू यूनियनों की अन्य यूनियनों तथा संगठनों के साथ एकजुट होकर फैक्ट्रियों, स्थानीय क्षेत्रों और जिलों में मीटिंगों, प्रदर्शनों व कनवेंशनों आदि का आयोजन करना चाहिए. रैली तथा प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम तय करने के लिए 17 अप्रैल को मजदूरों का एक सेंट्रल कनवेंशन होगा.

कमल सरकार ने घोषणा की कि राज्य की तीसरी सीटू कानफ्रेंस 22 से 25 मई को दमदम में होगी.

मोहिनी मिल्स में तालाबंदी

बेलघोरिया की एक कपड़ा फैक्ट्री, मोहिनी मिल्स, के प्रबंधकों ने 28 फरवरी की रात को फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी और 2500 मजदूरों को बेरोजगार कर दिया. सीटू से संबंधित टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा आई. आर. सी. आई. ने 1972 में मिल को चलाने के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपये दिए थे लेकिन पिछले चार सालों से मिल में एक दिन भी ढंग से काम नहीं करवाया गया. यूनियन का आरोप है कि मिल मालिकान ने मजदूरों के लिए महंगाई भत्ता, ई. एस. आई. तथा ग्रेच्युटी से 92 लाख रुपये से भी अधिक तथा बकाया वेतन में से 32 लाख रुपयों का दुरुपयोग किया है. राज्य सरकार ने मिल का नियंत्रण केंद्रीय सरकार द्वारा करने की कई बार मांग की और केंद्र द्वारा एक कमेटी गठित की गई लेकिन प्रबंधकों ने हाईकोर्ट से 'स्टेआर्डर' प्राप्त कर लिया. यूनियन ने, मजदूरों के हित के लिए फैक्ट्री का तुरंत राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है.

सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी. मजदूरों की शानदार जीत

सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के लगभग 1500 मजदूर सीटू यूनियन के नेतृत्व में 25 अक्तूबर 1979 से अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर थे. इन्होंने अपनी 119 दिन की हड़ताल राज्य के श्रममंत्री व श्रम आयुक्त की पहलकदमी पर हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद 21 फरवरी को समाप्त की. यह तय किया गया है कि मजदूरों को 1-1-1979 से वेतनवृद्धि मिलेगी, 400 रुपये प्रति मजदूर अग्रिम राशि दी जाएगी जो उन्हें बाद में वापस लौटानी होगी, 1-1-79 से 70 रुपये प्रति माह बकाया वेतन मई-जून तक दे दिया जाएगा तथा अन्य मांगें जैसे-8 घंटे काम, निशुल्क मकान व भोजन, हड़ताल के समय का वेतन आदि 1947 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी.

20 फरवरी को किदरपुर में मजदूरों की एक विशाल रैली हुई जिसमें यूनियन के अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी, एम. पी. कार्यकारी अध्यक्ष एम. ए. सईद तथा महासचिव प्रोलय तालुकदार ने मजदूरों को इस विजय पर बधाई दी.

एन. आई. एस. सी. ओ. फैक्ट्री 4 वर्ष बाद पुनः चालू

कलकत्ता के पास बेलूर में स्थित नेशनल आयरन एण्ड स्टील कंपनी की फैक्ट्री मार्च 1976 में प्रबंधकों द्वारा श्रम विवाद के बहाने बंद कर दी गई थी. तब से इन चार सालों तक फैक्ट्री बंद रखी गई. राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार ने फैक्ट्री को फिर खोलने का कोई प्रयत्न नहीं किया और न ही 1500 मजदूरों को कोई नौकरी देने की ही कोशिश की. 1977 में वाममोर्चा सरकार के आने के बाद इसने फैक्ट्री को अपने नियंत्रण में लेने के प्रयत्न शुरू किए. राज्य सरकार द्वारा गठित भाया कमेटी की सिफारिश और बैंक आफ इंडिया तथा आई. आर. सी. आई. द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से फैक्ट्री को अपने नियंत्रण में लेने का एक सुझाव केंद्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया.

केंद्र द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने फैक्ट्री का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और दिसंबर 1979 से काम शुरू हो गया. एक नया बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बनाया गया जिसने मुख्य पांच ट्रेड यूनियनों के साथ 14 फरवरी को अतिरिक्त श्रम-आयुक्त के समक्ष एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के अनुसार फैक्ट्री के सभी 1500 बेरोजगार मजदूरों को छः महीने

के अन्दर काम पर वापस ले लिया जाएगा, उन्हें सभी पुरानी सुविधाएं व लाभ प्राप्त होंगे और उन्हें 200 रुपये प्रति मजदूर के हिसाब से अग्रिम राशि दी जाएगी जो बाद में आसान किश्तों पर वसूल की जाएगी.

एन.पी. सी.सी. के मजदूरों ने मांग सप्ताह मनाया

नेशनल प्रोजेक्ट्रस कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (केंद्रीय सरकार के अधीन) के मजदूरों ने वर्कर्स यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में 25 फरवरी से अपनी मांगों के समर्थन में मांग सप्ताह मनाया. उनकी मांगें हैं—आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वेतन, छंटनी किए गए मजदूरों को पुनः वापस लेना, मुअत्तिली आदेशों को वापस लेना, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी, ई. एस. आई लाभ, महंगाई भत्ते में वृद्धि, ठेका प्रथा का खात्मा आदि.

800 से भी ज्यादा इंजीनियर व मजदूर जो सीधे कार्पोरेशन द्वारा लगाए गए हैं, पी. एफ. और अन्य लाभ पाते हैं लेकिन अन्य 5000 मजदूरों को जो एन. पी. सी. सी. से संबंधित हैं तथा 25,000 ठेका मजदूरों को जो एन. पी. सी. सी. के. विभिन्न प्रोजेक्टों में काम करते हैं, निर्धारित न्यूनतम वेतन तथा अन्य लाभों से वंचित रखा गया है. सीटू के नेतृत्व में ये मजदूर अपनी मांगों के लिए 1976 से संघर्षरत हैं.

बी. बी. जे. कंस्ट्रक्शन मजदूरों का संघर्ष

बी. बी. जे. कस्ट्रक्शन लिमिटेड (केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित) के मजदूर विकिटमाइजेशन के खिलाफ तथा अपनी मांगों को पूरा कराने में मालिकों द्वारा मना करने के अड़ियलपन के खिलाफ संघर्षरत हैं. हाल ही में प्रबंधकों ने एक समाचार पत्र में विज्ञापन के जरिए जोका में हो रहे कार्य को बंद घोषित कर दिया तथा वहां पर काम कर रहे 120 मजदूरों तथा कर्मचारियों को निकाल दिया.

पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव मनोरंजनराय ने एक बयान में इस गैर कानूनी तथा अन्यायपूर्ण नोटिस का तथा मजदूरों की मांगों को पूरा करने में प्रबंधकों द्वारा अपनाए गए अड़ियल रवैये का घोर विरोध किया है. उन्होंने केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करके निकाले गए मजदूरों को तुरंत वापस लेने तथा सही जांच पड़ताल के बाद प्रबंध के दोषों को ठीक करने की मांग की है.

पालेकर अधिकरण .....

[पृष्ठ पंद्रह से आगे]

कर सकते कि इन्हें तत्काल मान लिया जाए. इस बारे में हमें अधिकरण की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी. किंतु इस बारे में हमारा मत यही होना चाहिए कि ज्योंही अधिकरण अपने अंतिम सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत करे, सरकार बिना किसी संशोधन के तत्काल उन्हें स्वीकार करे व वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत इसके कार्यान्वन का आदेश दे. 1967 (यानी पिछले 13 वर्षों में) से समाचारपत्रों के कर्मचारियों के वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ है. यदि अधिकरण की अंतिम सिफारिशों पर तत्काल कदम उठाया जाएगा तभी एक अर्से से समाचारपत्र कर्मचारियों पर लादी गई वेतनजाम की अवस्था में कुछ परिवर्तन होगा तथा उन्हें राहत मिलेगी. साथ ही यदि समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के वेतनमानों को भी अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों के साथ नहीं जोड़ा गया तो कर्मचारियों को कोई आंदोलनात्मक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा.

सीटू द्वारा डी. सी. एम. के मजदूरों का समर्थन

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी की ओर से सुशील भट्टाचार्य, संसद सदस्य व राज्य कमेटी के महासचिव ने एक प्रेस वक्तव्य जारी करके डी. सी. एम. के प्रबंधकों द्वारा कोयले की कमी के नाम पर 6 हजार मजदूरों को ले आफ किये जाने की तीव्र भर्त्सना की है. यह ले आफ वास्तव में मजदूरों को बड़े पैमाने पर छटनी करने व अन्य मजदूरों पर अतिरिक्त काम का बोझ डालने के इरादों की शुरूआत हैं.

वक्तव्य के अनुसार सीटू डी.सी एम. की कपड़ा मजदूर लाल झंडा यूनियन (सीटू) के इस फैसले का पुरजोर समर्थन करती हैं कि मजदूरों पर होनेवाले इस नए हमले के विरुद्ध जमकर संघर्ष किया जाए.

वामपंथी व जनवादी एकता का आधार

[पृष्ठ बारह से आगे]

मांग रखनी चाहिए कि वह घाटे की अर्थव्यवस्था जैसे आर्थिक कदमों का सहारा न लें क्योंकि इसका परिणाम मुद्रास्फीति का भार आम जनता के कंधों पर डालने में होता है."

इस बात की आवश्यकता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है कि हम चार या पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ उन सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों व फेडरेशनों में एकता लाने का प्रयत्न करें जिन्हें मजदूर वर्ग के किसी भी भाग का विश्वास प्राप्त है. इस संदर्भ में रणदिवे ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कर्मचारियों का आंदोलन मजबूत हो गया है और यह हमारी ट्रेड यूनियन एकता में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है. पिछले वर्ष सीटू के मद्रास सम्मेलन में यह आवश्यकता महसूस की गई थी कि एक ऐसे कानफेडरेशन की स्थापना की जाए जिसमें विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठन विचार-विमर्श कर सकें तथा आम सहमति के आधार पर काम कर सकें. इस संदर्भ में रणदिवे ने कहा कि "हम मद्रास में दिए गए इस आह्वान को दोहराते हैं और खराब होती राजनीतिक व आर्थिक हालात को देखते हुए इसकी जरूरत को रेखांकित करते हैं. **हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल ट्रेड यूनियन एकता ही मेहनतकश लोगों के जीवनयापन के स्तर में आ रही गिरावट को रोक सकती है तथा ट्रेड यूनियन एकता ही जनवादी व वामपंथी शक्तियों की मजबूती का आधार बन सकती है जिससे कि अधिनायकवाद की लहर को रोका जा सके."**

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

निरेन घोष — सुधिन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

सीटू द्वारा पिपरा हत्याकांड की निंदा

सीटू की बिहार राज्य कमेटी ने पटना जिले के पिपरा गांव में हरिजन खेत मजदूरों पर स्थानीय जमींदारों व उनके पालतू गुंडों द्वारा 25 फरवरी की रात को हुए हमले की तीखी भर्त्सना की है. इस हमले में 15 खेत मजदूर मारे गए व 27 मकानों को जलाकर राख कर दिया गया. यह सुनियोजित हमला खेत मजदूरों द्वारा अपने काम के बदले न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए किए गए आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से किया गया था.

सीटू की बिहार राज्य कमेटी ने राज्य की मेहनतकश जनता को आह्वान किया कि वे 10 मार्च को 'पिपरा हत्याकांड विरोध दिवस' के रूप में मनाएं. इस दिन जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए गए तथा प्रस्ताव पास करके इस जघन्य अपराध की निंदा की गई.

जहाज 'एलेक्जेंड्रा' इंग्लैंड में रोका गया

कलकत्ता की नीलहत शिप्पिंग कंपनी के जहाज 'एलैक्जैंड्रा एन' को जनवरी में इंग्लैंड के एवनमाउथ बंदरगाह में रोक लिया गया. यह अभूतपूर्व कदम इंटर-नैशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्ज फैडरेशन (आई. टी. एफ.) द्वारा एक ब्रिटिश अदालत में यह अपील करने के बाद उठाया गया जिसमें यह कहा गया था कि इस जहाज के चालकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं. आई टी. एफ. ने इस जहाजरानी कंपनी के कर्मचारियों की यूनियन के कहने पर ही अदालत का दरवाजा खटखटाया था. इस जहाज के कर्मचारियों को भोजन, पानी, वेतन, रिहाइश जैसी सुविधाएं भी नहीं दी जा रहीं थीं जो जहाजचालन के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है. इन हालात में ब्रिटिश अदालत ने आदेश दे दिया कि इस जहाज को नीलाम करके कर्मचारियों का भुगतान किया जाए. नीलामी की तिथि 18 मार्च निश्चित हुई थी.

भारत सरकार इस जहाजरानी कंपनी के कर्मचारियों की शिकायतों व समस्याओं के प्रति सदा उदासीन रही है. किंतु ब्रिटिश अदालत के इस आदेश को देखकर बहु कुछ जाग गई और उसने अब इंडिया स्टीमशिप कंपनी से निलहत कंपनी का अधिग्रहण करने को कहा है. इस संदर्भ में यह कहना भी जरूरी है कि इसी कंपनी के एक और जहाज को सितंबर 1979 में बंबई में रोक दिया गया था. वह कार्र-वाई जहाजरानी विकास राशि समिति द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अदालत के आदेश के अनुसार की गई थी. शिकायत का आधार इस कंपनी द्वारा ऋण तथा अन्य आर्थिक सहायता की अदायगी समय पर न किए जाना था.

'लोक विजय' कांडला में रोका गया

फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया (सीटू) की कांडला शाखा ने शिप्पिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के जहाज 'लोक विजय' को कांडला (कच्छ) में 6 से 11 मार्च तक रोके रखा. यूनियन की मांग थी कि इस जहाज के चालकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए. इन समस्याओं में प्रमुख थीं— जहाज में स्वच्छ व उपयुक्त खाद्य सामग्री का अभाव, अधिक काम के घंटे व चालकों की काम के औजार व अन्य सामग्री न दिया जाना.

नाविकों की इस कार्रवाई व इसकी पृष्ठभूमि में मौजूद सशक्त नाविक आंदोलन के प्रभाव से जहाज के मालिक को नाविकों के साथ बातचीत करके फैसला करना पड़ा. फैसला हो जाने के बाद जहाज के चालकों ने "साइन आफ" कर दिया है.

दिलचस्पी की बात यह है कि बात-चीत आरंभ करने के लिए जहाज के मालिक यूनियन के दफ्तर आए और वहीं फैसला हुआ. समझौते के अनुसार जहाज के हर नाविक-सदस्य को अपनी जायज मजदूरी के साथ-साथ 450 रुपये अतिरिक्त मजदूरी मिली.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979 नवं.	1979 दिसं.	1980 जन.
बिहार			
जमशेदपुर	359	365	359
झारिया	353	362	357
कोडर्मा	399	402	402
मोंघाइर	397	394	396
नोआमुंडी	384	388	388
गुजरात			
अहमदाबाद	353	360	358
भाव नगर	377	391	372
हरियाणा			
यमुना नगर	387	395	393
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	353	356	360
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	386	390	385
भोपाल	364	369	368
ग्वालियर	376	381	377
इंदौर	378	381	382
महाराष्ट्र			
बंबई	365	375	376
नागपुर	364	370	368
शोलापुर	379	387	384
पंजाब			
अमृतसर	381	387	388
राजस्थान			
अजमेर	369	380	379
जयपुर	386	393	391
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	364	368	366
सहारनपुर	370	373	375
वाराणसी	420	427	422
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	379	383	379
कलकत्ता	359	366	357
दार्जीलिंग	312	315	308
हावड़ा	344	353	345
जलपाइगुरी	312	311	307
रानीगंज	367	375	370
दिल्ली	390	395	396
भारत	368	374	371

(लेबर ब्यूरो, शिमला) *

शोलापुर विद्रोह : सशक्त स्वतंत्रता आंदोलन

[पृष्ठ नौ से आगे]

प्रतीत हो रहे थे. उन्होंने दो पुलिस कर्मचारियों की हत्या पर दुःख प्रकट किया, किंतु इस बात को जोर देकर कहा कि हिंसा का आरंभ आंदोलनकर्ताओं की ओर से नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि आंदोलनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे शांत रहकर अत्याचार को सहन करें. यहां तक कि यदि हिंसा हो तो भी प्रतिरोध न करें."

गांधीजी के हस्ताक्षर सहित इस इंटरव्यू की फोटोस्टेट प्रति इस पत्र में छापी गई.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति, जिसकी बैठक 13 मई 1930 को इलाहाबाद में हुई, ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस 'जन हिंसा' का जिक्र किया. विज्ञप्ति में कहा गया—"कार्य समिति को अफसोस है कि कुछ स्थानों पर भीड़ हिंसक हो गई. वह इस हिंसा की जोरदार शब्दों में भर्त्सना करती है. समिति चाहती है कि अहिंसा के सिद्धांतों का पालन कड़ाई से किया जाए."

(टाइम्ज आफ इंडिया, 19.2.1930)

मार्शल—ला

12 मई की रात को वाइसराय लार्ड इर्विन ने शोलापुर शहर में मार्शल ला घोषित कर दिया. जरूरत पड़ने पर मार्शल ला को सारे जिले में घोषित करने के अधिकार भी दे दिए गए. मार्शल ला के कानूनों के अंतर्गत सैकड़ों मजदूरों तथा अन्य मेहनतकश लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया तथा उन्हें अपने बचाव के पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना सख्त सजाएं दी गईं. शहर में आतंक फैला दिया गया जिस कारण किसी व्यक्ति को साहस न हुआ कि वह दोषी ठहराए गए लोगों के बचाव के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सके. कई निर्दोष व्यक्ति सरकार द्वारा चलाए गए दमनचक्र के शिकार बने. झूठे तथा दिखावटी मुकदमे चलाकर सैकड़ों आंदोलनकारियों को सख्त सजाएं दी गई. यहां तक कि शोलापुर नगरनिगम के अध्यक्ष को इस दोष पर कि उन्होंने विदेशी शासन की ओर से मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने से इंकार कर दिया गिरफ्तार कर लिया गया व सजा दी गई.

स्थानीय पत्र 'कर्मयोगी' के संपादक श्री रामभाऊ रजवाडे ने 10 मई 1930 को पत्र का एक विशेष संस्करण प्रकाशित किया जिसमें ब्रिटिश सशस्त्र पुलिस द्वारा की गई निर्मम व अंधाधुंध गोलीबारी का यथार्थवादी चित्रण किया गया. इस 'अपराध' के खिए श्री रजवाडे पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया तथा उन्हें 7 वर्ष के कड़े कारावास की सजा दी गई. इस आंदोलन के चार प्रमुख नेताओं—सर्वश्री मलप्पा धनशेट्टी, दुकान कर्मचारी, कुर्बान हुसैन, पत्रकार व ट्रेड यूनियन अधिकारी, जगन्नाथ शिंदे, स्थानीय युवक नेता तथा श्रीकृष्ण सरदा, व्यापारी—को झूठी हत्याओं के मामलों में फंसाकर, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई.

विरोध की आवाज

शोलापुर में हो रहे दमन के खिलाफ पूरे देश में विरोध की आवाज बुलंद हुई. इसके द्वारा सरकार से मांग की गई कि मार्शल ला को वापिस ले लिया जाए व मृत्युदंड के आदेश रद्द किए जाएं. सैकड़ों जलसे किए गए व जुलूस निकाले गए. इस मुद्दे को बंबई, सैंट्रल काउंसिलों, यहां तक कि ब्रिटिश संसद में भी उठाया गया किंतु ब्रिटिश सरकार आंदोलनकर्त्ताओं को सजा देने के अपने निश्चय से न टली. अंततः इन चार बहादुर आंदोलनकर्त्ताओं को 12 जनवरी 1931 को यरवदा जेल में मृत्युदंड दे दिया गया. पहले सरकार का निश्चय था कि इन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए. किंतु हर जगह जनता का असीम गुस्सा देखकर सरकार ने अपना यह इरादा बदल दिया व इन बहादुरों को जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई. मरने के बाद भी सरकार ने इनका शव अंतिम संस्कार के लिए इनके परिवार वालों को न सौंपा.

मार्शल ला का शासन 49 दिन चलता रहा अंत में इसे 30 जून 1930 को वापिस ले लिया गया. मार्शल ला के दौरान बहुत से कार्यकर्ता भूमिगत हो गए तथा कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष को आगे चलाते रहे. लगभग 25 हजार लोग आतंक व बदले के दमनचक्र से बचने के लिए शहर छोड़कर चले गए.

मजदूरों की जबरदस्त शक्ति

शोलापुर के मजदूरों व आम जनता के विद्रोह ने साम्राज्यवादी आधिपत्य के खिलाफ सशक्त स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जाने का एक रास्ता दिखा दिया. यह रास्ता तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा अपनाए जा रहे रास्ते से भिन्न था. इस विद्रोह ने यह दिखा दिया कि जब संघर्ष में पहल मजदूर वर्ग तथा अन्य मेहनतकश लोगों के हाथ में होती है तो वे कैसे जमकर लड़ते हैं. यह सही है कि इस विद्रोह को साम्राज्यवादी ताकत अस्थाई रूप से कुचलने में सफल हो गई. किंतु यह ताकत साम्राज्यवाद-विरोधी भावनाओं को न दबा पाई जो मजदूरों व अन्य निर्धन लोगों के दिलों में समाई हुई थी.

इस्पात मजदूरों द्वारा सीटू संघर्ष राशि में अनुदान

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के मजदूरों ने सीटू संघर्ष राशि में 30,000 रुपये का अनुदान दिया है. 9 मार्च को बर्नपुर में हुई मजदूरों की आम सभा में ए. बी. के. मैटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्ज यूनियन की ओर से एम. के. पधे को इस राशि का एक बैंक ड्राफ्ट दिया गया.

सीटू की ओर से सीटू सचिव पंधे ने इस सहायता के लिए मजदूरों का धन्यवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस रकम का उपयोग सीटू को मजबूत बनाने में किया जायगा.

जूट मजदूरों की अखिल भारतीय फेडरेशन

नई दिल्ली, 24 मार्च : अखिल भारतीय जूट मजदूर सम्मेलन की संचालन समिति की विस्तारित सभा नई दिल्ली में 20 से 22 मार्च तक सम्पन्न हुई. इसकी अध्यक्षता संसद सदस्य नीरेन घोष ने की. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आंध्र प्रदेश तथा असम के प्रतिनिधि सभा में उपस्थित थे. संचालन समिति की स्थापना 1979 में की गई थी. इसकी स्थापना का उद्देश्य जूट मजदूरों का एक देशव्यापी सम्मेलन करना तथा अखिल भारतीय स्तर की एक फैडरेशन की स्थापना करना था जो कि देशव्यापी स्तर पर जूट के घन्नासेठों से संघर्ष कर सके. अन्य कारणों के अलावा अखिल भारतीय स्तर की फैडरेशन बनाना इस लिए भी जरूरी हैं क्योंकि इसकी स्थापना से देश भर के जूट मजदूरों के वेतन को सबसे ऊंचे स्तर पर मानकित (स्टैंडर्डाइज) किया जा सकता है जिससे कि हर क्षेत्र के जूट मजदूरों को बराबर मजदूरी व सुविधाएं मिल सकें. बगाल चटकल मजदूर यूनियन के महासचिव व सीटू सचिव कमल सरकार संचालन समिति के संयोजक निर्वाचित हुए. पिछले कुछ वर्षों के जूट मजदूरों के संघर्षों का समिति ने जायजा लिया है. समिति ने अब निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय जूट मजदूर सम्मेलन कानपुर में 27 व 28 सितम्बर 1980 को होगा.

सभा में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रीगण सुधीन कुमार, मुहम्मद अमीन व राधिका बनर्जी भी थे.

सभा में जूट मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया. इसमें जूट थैलीशाहों को चेतावनी दी गई कि यदि वे अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो मजदूर अखिल भारतीय स्तर का संघर्ष चलायेंगे.

वाटर ट्रांसपोर्ट मजदूरों का दूसरा सम्मेलन

वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्ज फेडरेशन आफ इंडिया का दूसरा सम्मेलन कोचीन में 19 से 21 अप्रैल 1980 को होगा. सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे इसका उद्घाटन करेंगे.

सम्मेलन में फेडरेशन की गतिविधियों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा गोदी व बंदरगाहों के मजदूरों व नाविकों की फौरी समस्याओं पर चलाए जानेवाले आंदोलनों को दिशा दी जाएगी. इसमें संस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लिए जाने वाले कदमों पर भी विचार होगा.

सम्मेलन के काम को चलाने के लिए एक स्वागत समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष संसद सदस्य एम. एम. लारेंस व महासचिव के. पी. एस. मेनन व टी. एम. मुहम्मद होंगे. सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. स्वागत समिति का पता है—

स्वागत समिति,
वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्ज फैडरेशन आफ इंडिया का दूसरा सम्मेलन,
द्वारा कोचीन पोर्ट लेबर यूनियन,
पनयापिल्ली, कोचीन-682002

स्वागत समिति ने इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित करने का भी निश्चय किया है.

सी. ई. एल. में अफसर-शाही के विरुद्ध संघर्ष

सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, सहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) के 500 मजदूर 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. हड़ताल की पूर्वसूचना सी. ई. एल. कर्मचारी संघ ने 7 फरवरी को ही दे दी थी. किंतु कंपनी के प्रबंधकों ने मजदूरों की मांगों पर विचार करने से साफ इंकार कर दिया जिस कारण मजदूरों को हड़ताल पर जाने का अप्रिय कदम उठाना पड़ा. मजदूरों की प्रमुख शिकायतों में भ्रष्ट अफसरों द्वारा अनियमितताएं व सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, मजदूरों को नौकरी से हटाए जाना, पेंशन के लिए वर्तमान वेतन में से कटौती तथा बदले की भावना से प्रेरित हो मजदूरों को विक्टिमाइज करना है.

हड़ताल द्वारा मजदूर सरकार का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र के इस औद्योगिक संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार व घोटालों की ओर दिलाना चाहते हैं जिससे कि सरकार इस बारे में शीघ्र कदम उठाए तथा मजदूरों व कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रनिर्माण में सहयोग देने के लिए सही वातावरण तैयार करे.

श्रद्धांजलि

टी. बालन

सीटू की जनरल काउंसिल के सदस्य कामरेड टी. बालन का 25 मार्च को देहांत हो गया. कामरेड बालन कोयंबटूर के निवासी थे.

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज तथा 'सीटू मजदूर' कामरेड बालन की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता है.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने सीटू की तमिलनाडु शाखा व कामरेड बालन के परिवार के सदस्यों को तार भेजकर उनकी मृत्यु से हुए गहरे आघात व दुःख का इज़हार किया है.

राय सिंह

होटल वर्कर्ज यूनियन (सीटू) के महासचिव तथा सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड राय सिंह का 11 मार्च को निधन हो गया.

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज व 'सीटू मजदूर' कामरेड सिंह के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करता है.

दिल्ली सीटू के महासचिव ने कामरेड सिंह के संतप्त परिवार व यूनियन के सदस्यों को उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजा है.

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला ,फेजII-, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित